

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019

मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो
:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किए गए किसी निर्देश को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में समझा जाएगा ।

1988 का 59

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन ।

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(1) “रूपांतरित यान” से कोई मोटर यान अभिप्रेत है, जिसे या तो विनिर्दिष्टतः डिजाइन और विनिर्मित किया गया है या जिसमें किसी शारीरिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तन किए गए हैं और उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है ;

(1क) “समूहक” से कोई डिजीटल मध्यवर्ती या किसी यात्री के लिए परिवहन के प्रयोजन के लिए चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार स्थान अभिप्रेत है ;

(1ख) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में “क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;’

(ii) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(4क) “समुदाय सेवा” से कोई असंदत्त कार्य अभिप्रेत है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड के रूप में किया जाना अपेक्षित है ;’

(iii) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(9क) “चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम” से धारा 19 की उपधारा (2क) में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ;’

(iv) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(12क) “स्वर्णिम घंटा” से अभिघात, क्षति के पश्चात् एक घंटे तक रहने वाली कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है ;’

(v) खंड (18) का लोप किया जाएगा ।

(vi) खंड (24) में, “अशक्त यात्री गाड़ी” शब्दों के स्थान पर, “रूपांतरित यान” शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (26) में, “अशक्त यात्री गाड़ी” शब्दों के स्थान पर, “रूपांतरित यान” शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) खंड (38) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(38क) “स्कीम” से इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम अभिप्रेत है ;’

(ix) खंड (42) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(42क) “परीक्षण अभिकरण” से धारा 110ख के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है ;’

(x) खंड (49) में, “टिका हुआ है” शब्दों के पश्चात्, “या गतिमान होता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“2ख. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रूप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।”।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) में, “उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है” शब्दों के स्थान पर, “राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “तथा ऐसी फीस होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी फीस सहित और ऐसी रीति में, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी साधन हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) “प्रत्येक आवेदन” शब्दों के स्थान पर, “परिवहन यान चलाने के लिए

नई धारा 2ख का अंतःस्थापन ।

नवपरिवर्तन का संवर्धन ।

धारा 8 का संशोधन ।

प्रत्येक आवेदन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (4) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (5) में, "अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रानिकी रूप में और ऐसी रीति में जारी कर सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परंतु यह भी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा ।"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (1) में, "उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी रूपांतरित यान को चलाने के लिए किसी आवेदन को चालन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए उपयुक्त है ।";

(iii) उपधारा (4) में, "ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (5) में, परंतुक में, "अहित नहीं होगा" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसे आवेदक से धारा 12 के अधीन किसी स्कूल या स्थापन से उपचारात्मक चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा होगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में खंड (2) में, खंड (ग) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (1) में, "उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति में, जो

धारा 9 का संशोधन ।

धारा 10 का संशोधन ।

धारा 11 का संशोधन ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा।”।

धारा 12 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 में खंड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(5) किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी स्कूल या स्थापन को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया गया है, कोई व्यक्ति, जिसने ऐसे स्कूल या स्थापन में सफलतापूर्वक कोई प्रशिक्षण माइयूल पूरा कर लिया है, जिसके अंतर्गत कोई विशिष्ट किस्म का मोटर यान आता है, वह ऐसी किस्म के मोटर यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण माइयूल और धारा 9 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट उपचारी चालक प्रशिक्षणचर्या का पाठ्यक्रम वह होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और केंद्रीय सरकार ऐसे स्कूलों या स्थापनों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।”

धारा 14 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, “एक वर्ष” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “प्रभावी रहेगी और” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “तीन वर्ष और उसका नवीकरण ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा केंद्रीय सरकार विहित करे ; और” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकरण पर,—

(i) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; या

(ii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ; या

(iii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; या

(iv) उसने, यथास्थिति, जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख

को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।”;

(iii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

धारा 15 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में पहले परंतुक में “तीस दिन के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर, “उसकी समाप्ति की तारीख से या तो एक वर्ष पूर्व या एक वर्ष के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) दूसरे परंतुक में, “चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पाँच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से एक वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करेगा” शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

धारा 19 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(13A) जहां धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को कोई अनुज्ञप्ति अग्रेषित की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है तो वह या तो चालन अनुज्ञप्ति के धारक को निर्मुक्त कर देगा या वह विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी यानों या यानों के किसी वर्ग या विवरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निरहित करने का,—

(क) पहले अपराध के लिए तीन मास की अवधि के लिए निरहित करने का आदेश करेगा ;

(ख) दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने का आदेश करेगा :

परंतु जहां इस धारा के अधीन किसी चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर लिया गया है वहां ऐसी चालन अनुज्ञप्ति के धारक के नाम को पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में रखा जा सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।”;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु चालन अनुज्ञप्ति को धारक को निरर्हता की अवधि की समाप्ति पर केवल तभी लौटाया जाएगा जब वह सफलतापूर्वक चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करता है।”;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2क) अनुज्ञप्तिधारक, जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है वह धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्त और विनियमित स्कूल या स्थापन से या किसी अन्य अभिकरण से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करेगा।

(2ख) चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।”।

(iv) “उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“25क. (1) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए।

(2) चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्ट्रों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में पारेषित करेंगे जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।”।

13. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“26. प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञपति प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीकृत चालन-अनुज्ञपतियों के संबंध में राज्य चालन-अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी, जिसमें निम्नलिखित

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रों का रखा जाना

नई धारा 25क का अंतःस्थापन।
चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर।

अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत—

- (क) चालन-अनुज्ञप्ति धारकों के नाम और पते ;
- (ख) अनुज्ञप्ति संख्या ;
- (ग) अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने की तारीख ;
- (घ) अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख ;
- (ङ) चलाए जाने के लिए प्राधिकृत यानों के वर्ग और किस्म ; और
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

14. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

धारा 27 का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा ;

(घख) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा ;”;

(ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) प्रशिक्षण माइयूलों की पाठ्यचर्या और धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन स्कूलों और स्थापनों का विनियमन ;

(जख) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन के लिए परिवहन यानों और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अन्य मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें ;

(जग) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 11 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा ;”;

(iii) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ढक) धारा 19 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारक के नाम को पब्लिक डोमेन में रखने की रीति ;

(ढख) धारा 19 की उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य विवरण और अवधि के लिए उपबंध करना ;”

(iv) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(णक) धारा 25क में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय ;”

(v) खंड (त) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 28 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) में खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।

धारा 40 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 40 में, “रजिस्ट्रीकर्ता” शब्दों के स्थान पर, “राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 41 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(i) उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि नए मोटर यान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर यान के डीलर द्वारा किया जाएगा, यदि नए मोटर यान को उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर अवस्थित है।”;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) “उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” शब्दों के स्थान पर, “स्वामी के नाम से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु नए मोटर यान की दशा में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन किया गया है, ऐसे मोटर यान का उसके स्वामी को तब तक परिदान नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण चिह्न मोटर यान पर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता है।”;

(iv) उपधारा (7) में,—

(क) “परिवहन यान से भिन्न” शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ख) “ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से” शब्दों के पश्चात् “या ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) उपधारा (8) में, “परिवहन यान से भिन्न” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) उपधारा (10) में,—

(क) “पाँच वर्ष की अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी अवधि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु केंद्रीय सरकार विभिन्न किस्म के यानों के लिए नवीकरण की विभिन्न अवधि विहित कर सकेगी।”;

(vii) उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13) का लोप किया जाएगा ।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“43. धारा 40 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, को मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न ऐसे नियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, जारी करेगा :

परंतु राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को, जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है, रजिस्टर कर सकेगी और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए,

धारा 43 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।

अस्थायी
रजिस्ट्रीकरण ।

एक मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी कर सकेगी।”।

19. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“44. (1) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, कोई व्यक्ति, जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।”

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) में, “यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा” शब्दों के स्थान पर, “यदि नया पता किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) उपधारा (1) के अधीन संसूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों के इलैक्ट्रानिकी प्ररूप के साथ इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में अधिप्रमाणन का सबूत भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, भेजी जा सकेगी।”;

(iii) उपधारा (2) में, “एक सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार मोटर यानों में परिवर्तन के लिए विनिर्देश, अनुमोदन और पुनः संयोजन के लिए शर्तें तथा अन्य संबद्ध विषय विहित कर सकेगी और ऐसे मामलों में, विनिर्माता द्वारा दी गई वारंटी को ऐसे परिवर्तन या पुनः संयोजन के प्रयोजनों के लिए शून्य नहीं समझा जाएगा।”;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) किसी मोटर यान का विनिर्माता केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश पर

धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थानप।

रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना।

धारा 49 का संशोधन।

धारा 52 का संशोधन।

केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे मानकों और विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपस्करों या किसी अन्य उपस्कर में परिवर्तन या पुनः संयोजन करेगा।”

(iii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पश्चातवर्ती अनुमोदन से उसके स्वामित्वाधीन किसी यान में परिवर्तन कर सकेगा या उसे किसी रूपांतरित यान में बदलना कारित कर सकेगा :

परंतु ऐसा परिवर्तन ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।”;

(iv) उपधारा (3) में, “या उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे अनुमोदन के बिना उसका इंजन बदलने के कारण किया गया है” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 55 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 55 में उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5क) यदि किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी मोटर यान का उपयोग धारा 199क के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए किया गया है तो प्राधिकारी स्वामी को लिखित में अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा :

परंतु यान का स्वामी धारा 40 और धारा 41 के उपबंधों के अनुसार नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।”।

23. मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

धारा 56 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि ऐसी तारीख, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के पश्चात् किसी यान को तब तक उपयुक्तता प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे यान का स्वचालित परीक्षण केंद्र पर परीक्षण न कर लिया गया हो।” ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ‘प्राधिकृत परीक्षण केंद्र’ से कोई प्रसुविधा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण प्रसुविधा है, जहां ऐसे केंद्रों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण संचालित किया जा सकेगा।”;

(iii) उपधारा (4) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक,—

(क) ऐसा विहित प्राधिकारी ऐसी तकनीकी अर्हता न रखता हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और जहां विहित प्राधिकारी तकनीकी अर्हता नहीं रखता है, ऐसा रद्दकरण ऐसी अर्हता रखने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर किया जाएगा, और

(ख) किसी उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने के लेखबद्ध कारणों की यान के स्वामी, जिसके उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने की वांछा की जा रही है, द्वारा चुने गए प्राधिकृत परीक्षण केंद्र में पुष्टि की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि रद्दकरण की प्राधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो परीक्षण करने की लागत को परीक्षण किए जा रहे यान के स्वामी द्वारा और अन्यथा विहित प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा ।”;

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(6) इस धारा के अधीन विधिमान्य उपयुक्तता प्रमाणपत्र रखने वाले सभी परिवहन यान उनकी बाडी पर स्पष्ट और सहज दृश्य रीति में ऐसा सुभिन्न चिह्न लगाएंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(7) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, इस धारा के उपबंधों का गैर-परिवहन यानों पर विस्तार हो सकेगा ।”

24. मूल अधिनियम की धारा 59 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) केंद्रीय सरकार लोक सुरक्षा, सुविधा, पर्यावरण के संरक्षण और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मोटर यानों और उनके भागों, जिनका जीवन पूरा हो चुका है, के पुनः चक्रण के लिए रीति विहित करने के लिए नियम बना सकेगी ।”

25. मूल अधिनियम की धारा 62 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“62क. (1) कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगी जिसने धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है ।

(2) कोई विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र धारा 56 के अधीन किसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है ।

62ख. (1) केंद्रीय सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाए :

परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्ट्रों को राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित की जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक

धारा 59 का संशोधन ।

नई धारा 62क और धारा 62ख का अंतःस्थापन ।

आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध ।

मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ।

विधिमान्य नहीं होगा जब तक मोटर यानों को राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या उसे जारी न कर दी गई हो ।

(3) मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में सभी सूचना और डाटा को केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में पारेषित करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) राज्य सरकारें मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्यतन करेंगी ।” ।

26. मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“63. प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, राज्य मोटर यान रजिस्टर के रूप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य में के मोटर यानों के संबंध में रखेगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी—

- (क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;
- (ख) विनिर्माण के वर्ष ;
- (ग) वर्ग और प्रकार ;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और पते ; और
- (ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।” ।

27. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घक) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के लिए उपबंध करने के लिए ;”

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ङक) धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन विभिन्न किस्म के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की अवधि ;”

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(चक) धारा 43 के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी करने के लिए ;

(चख) वह निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए किसी मोटर यान की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ;”

(iv) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

:—

धारा 63 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्ट्रों का रखा जाना ।

धारा 64 का संशोधन ।

“(अक) पते में परिवर्तन की इलैक्ट्रानिकी रूप में संसूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति, ऐसी संसूचना के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, जिसके अंतर्गत धारा 49 की उपधारा (1क) के अधीन अधिप्रमाणन का सबूत भी है ;”

(v) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ठक) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन, पुनः संयोजन और मोटर यानों में परिवर्तन से संबंधित अन्य विषयों के विनिर्देश, अनुमोदन की शर्तें ;

(ठख) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन किसी मोटर यान को रूपांतरित यान में परिवर्तित करने की शर्तें ;”

(vi) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ढक) धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन परिवहन यानों की बाडी पर लगाया जाने वाला सुभिन्न चिह्न ;

(ढख) वह शर्तें, जिनके अधीन धारा 56 के लागू होने का धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन गैर परिवहन यानों पर विस्तार किया जा सकेगा ;

(ढग) मोटर यानों और उनके भागों का, जिनका धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन उपयोगी जीवन समाप्त हो गया है, पुनःचक्रण ;”

(vii) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(णक) धारा 62ख की उपधारा (1) के अधीन सभी या कोई विषय ;

(णख) धारा 63 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सभी या कोई विषय ;” ।

28. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (च) में, “मोटर” शब्द के पूर्व “धारा 43 के परंतुक के अधीन” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ।

29. मूल अधिनियम की धारा 66 में,—

(i) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां किसी परिवहन यान को परमिट के साथ-साथ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, ऐसे यान का उपयोग यान के स्वामी के विवेकाधिकार पर या तो जारी परमिट या परमिटों के अधीन या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन किया जा सकेगा ।”;

(ii) उपधारा (3) में, खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(थ) किसी परिवहन यान को, जिसे धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन, किसी स्कीम के अधीन या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है या वह ऐसे आदेशों के अधीन चल रहा है जो केंद्रीय सरकार या

धारा 65 का संशोधन ।

धारा 66 का संशोधन ।

राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं।” ।

नई धारा 66क
और धारा 66ख
का अंतःस्थापन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय परिवहन
नीति ।

“66क. (1) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों की सहमति से इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा—

(i) यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचालन करेंगे ;

(ii) एकीकृत मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के परिदान के लिए सड़क परिवहन के सभी रूपों के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि योजना ढांचा स्थापित करना, पत्तनों, रेल और विमानन से संबंधित प्राधिकारियों और अभिकरणों के साथ स्थानीय और राज्य स्तर योजना, भूमि धृति और विनियामक प्राधिकारियों के साथ परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना विकास के क्षेत्रों की पहचान करना ;

(iii) परमिटों और स्कीमों को अनुदत्त करने के लिए ढांचा स्थापित करना ;

(iv) सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति स्थापित करना और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक संपर्क के रूप में उसकी भूमिका ;

(v) परिवहन प्रणाली के लिए सामरिक नीतियों की पहचान करना और पूर्विकताओं को विनिर्दिष्ट करना, जो वर्तमान तथा भावी चुनौतियों पर ध्यान देती हैं ;

(vi) मध्यम से दीर्घावधि सामरिक निदेश, पूर्विकताओं और कार्रवाईयों का उपबंध करने ;

(vii) प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, सक्षमता में वृद्धि, बेरोकटोक सचलता और माल या पशु धन या यात्रियों के परिवहन में बृहत्तर दक्षता और संसाधनों का मितव्ययी उपयोग ;

(viii) परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाते हुए जनता के हितों के सुरक्षोपाय और साम्या का संवर्धन ;

(ix) परिवहन और भू-उपयोग योजना के लिए एक एकीकृत अप्रोच का प्रदर्शन ;

(x) उन चुनौतियों की पहचान करना, जिनको राष्ट्रीय परिवहन नीति दूर करना चाहती है ; और

(xi) कोई अन्य विषय पर ध्यान देना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सुसंगत समझा जाए ।

66ख. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है—

(क) धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसा परमिट धारण करने के कारण निरहित नहीं होगा ; और

परमिट धारकों के
विरुद्ध स्कीमों के
अधीन
अनुज्ञप्तियों के
लिए आवेदन
करने और धारण

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी ।” ।

करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना ।

धारा 67 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 67 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) कोई राज्य सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए,—

(क) पब्लिक, व्यापार और उद्योग को मोटर परिवहन के विकास द्वारा प्रस्तावित फायदों,

(ख) सड़क और रेल परिवहन को समन्वित करने की वांछनीयता ;

(ग) सड़क प्रणाली की अवनति को निवारित करने की वांछनीयता ;
और

(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए,

समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी किरायों, भीड़भाड़ को रोकने और सड़क सुरक्षा के लिए निदेश जारी कर सकेगी ।”

(ii) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे और उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस अध्याय के अधीन सभी या किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।”

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी परमिट को उपांतरित कर सकेगी या मालों और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी और ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन के विकास और दक्षता के संवर्धन के लिए अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी—

(क) अंतिम स्थान को संपर्क ;

(ख) ग्रामीण परिवहन ;

(ग) ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करना ;

(घ) शहरी परिवहन में सुधार ;

(ङ) सड़क के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ;

(च) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग ;

(छ) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक ओजस्विता का वर्धन ;

- (ज) लोगों की पहुंच और सचलता में वृद्धि ;
 (झ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन ;
 (ञ) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन ;
 (ट) जीवन की क्वालिटी में सुधार ;
 (ठ) परिवहन के तरीकों में और उनमें परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन ; और
 (ड) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विरचित स्कीम प्रभारित की जाने वाली फीसों, आवेदन के प्ररूप और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने को, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण, निलंबन, रद्द करना या उपांतरण है, को विनिर्दिष्ट करेगी ।” ।

धारा 72 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मंजली गाड़ी के परमिट से, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन कर रही है, ऐसी किन्हीं शर्तों का अधित्यजन कर सकेगा ।” ।

धारा 74 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 74 में,—

(i) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अंतिम स्थान संपर्कता के हित में ऐसे किस्म के किन्हीं यानों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में ऐसी किसी शर्त का अधित्यजन कर सकेगा ।”

(ii) उपधारा (3) में, खंड (ख) के परंतुक में उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) स्वयं सहायता समूह ।”

34. मूल अधिनियम की धारा 88 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“88क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी परमिट को उपांतरित कर सकेगी या राष्ट्रीय, मल्टीमाडल और माल या यात्रियों के अंतर्राज्य परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, अर्थात् :—

- (क) अंतिम स्थान को संपर्क ;
 (ख) ग्रामीण परिवहन ;
 (ग) माल और लाजिस्टिक के संचलन में सुधार ;
 (घ) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग ;
 (ङ) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक

नई धारा 88क का अंतःस्थापन ।
 केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति ।

ओजस्विता का वर्धन ;

(च) लोगों की पहुंच और सचलता में वृद्धि ;

(छ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन ;

(ज) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन ;

(झ) जीवन की क्वालिटी में सुधार ;

(ञ) परिवहन के तरीकों में और उनमें परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन ; और

(ट) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे :

परंतु केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकारों से सहमति लेगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दो या अधिक राज्य मालों या परिवहन के ऐसे राज्यों में प्रचालन के लिए स्कीम बना सकेंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों और दो या अधिक राज्यों द्वारा इस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम में प्रतिकूलता की दशा में उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम अभिभावी होंगी ।”।

35. मूल अधिनियम की धारा 92 में, “मंजली गाड़ी या ठेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट दिया गया है” शब्दों के स्थान पर “परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 92 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 93 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना ।”

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) एक समूहक के रूप में,;”

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु किसी समूहक को अनुज्ञप्ति जारी करते समय राज्य सरकार ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं :

परंतु यह और कि प्रत्येक समूहक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा ।”

2000 का 21

धारा 94 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 94 में दोनों स्थानों पर आने वाले, “इस अधिनियम के अधीन परमिट” शब्दों के पश्चात् “या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 96 का

38. मूल अधिनियम की धारा 96 में उपधारा (2) में खंड (xxxii) के पश्चात्

संशोधन ।

निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(xxxiiक) धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों की विरचना ;

(xxxiiख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराये का संवर्धन तथा भीड़भाड़ को निवारित करना,।”

धारा 110 का
संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 110 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ट) में “संघटकों के मानक” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में “विशिष्ट परिस्थितियों में” शब्दों के पश्चात् “और ऐसे नियम अन्वेषण की प्रक्रिया, ऐसा अन्वेषण संचालित करने के लिए सशक्त अधिकारी ऐसे विषयों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया तथा उनके तदधीन उदगृहित की जाने वाली शास्तियां” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्वेषणों के संचालन के लिए उपधारा (2) के अधीन सशक्त व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा ;

(ख) किसी दस्तावेज की मांग और प्रस्तुत करने की अपेक्षा ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

40. मूल अधिनियम की धारा 110 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 110क
और धारा 110ख का
अंतःस्थापन ।

“110क. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवर्तियों को तब वापस बुलाएगी, यद—

मोटर यानों का
वापस बुलाना ।

(क) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष है जो पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है ; और

(ख) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष निम्नलिखित द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट किया गया है,—

(i) स्वामियों के ऐसे प्रतिशत द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; या

(ii) किसी परीक्षण अभिकरण ; या

(iii) किसी अन्य स्रोत ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट दोष मोटर यान के किसी संघटक में है, वहां केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को, ऐसे सभी मोटर यानों को, ऐसे मोटर यानों की किस्म या परिवर्तियों पर ध्यान न देते हुए, जिनमें ऐसा संघटक लगा हुआ है, वापस बुलाने का निदेश दे सकेगी ।

(3) ऐसा कोई विनिर्माता, जिसके यानों को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वापस बुलाया जाता है,—

(क) क्रेताओं को किसी अवक्रय या पट्टा-आडमान करार के अधीन रहते हुए मोटर यान की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति करेगा ; या

(ख) दोषपूर्ण मोटर यान को समान या बेहतर विनिर्देशों वाले किसी ऐसे अन्य मोटर यान से प्रतिस्थापित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है या उसकी मरम्मत करेगा ; और

(ग) ऐसे जुर्माने और अन्य शोध्यों का संदाय करेगा, जो उपधारा (6) के अनुसार हों ।

(4) जहां विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर यान में कोई दोष उसकी सूचना में आता है तो वह ऐसे दोष की जानकारी केंद्रीय सरकार को देगा और यानों को वापस बुलाए जाने की प्रक्रियाएं आरंभ करेगा और ऐसी दशा में विनिर्माता उपधारा (3) के अधीन जुर्माने का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन किसी अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जिसके पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(6) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे दोष के लिए, जो केंद्रीय सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, मोटर यानों की किसी विशिष्ट किस्म या उसके परिवर्तियों को वापस बुलाने का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी ।

110ख. (1) किसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माइयुलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिदान या किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपधारा (2) में ऐसे यान के संबंध में निर्दिष्ट किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने

वाले या खींचे जाने के लिए आशयित अन्य यानों के किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र की अपेक्षा को विस्तारित कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे यानों के लिए अपेक्षित नहीं होगा,—

(क) जो निर्यात के लिए अथवा प्रदर्शन या निदर्शन या संप्रदर्शन के लिए आशयित हैं ; या

(ख) जिनका उपयोग मोटर यानों या मोटर यान संघटकों के किसी विनिर्माता या किसी अनुसंधान और विकास केंद्र द्वारा किया जाता है या जिनकी परीक्षा किसी परीक्षण और विधिमान्यकरण अभिकरण द्वारा या किसी डाटा संग्रहण के लिए किन्हीं कारखाना परिसरों के भीतर किसी गैर-सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है ; या

(ग) जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है ।

(2) ऐसे मोटर यानों का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माइयुलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, विनिर्माता या आयातकर्ता किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए किसी परीक्षण अभिकरण को विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले यान की प्रोटोकिस्म परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, परीक्षण अभिकरणों के प्रत्यायन, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाएगी ।

(4) परीक्षण अभिकरण, विनिर्माता की उत्पादन पंक्ति से लिए गए यानों या अन्यथा अभिप्राप्त किए गए यानों का यह सत्यापन करने के लिए परीक्षण करेंगे कि ऐसे यान इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(5) जहां किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी मोटर यान को धारा 110क के अधीन वापस बुलाया जाता है, वहां ऐसा परीक्षण अभिकरण, जिसने ऐसे मोटर यान को प्रमाणपत्र मंजूर किया था, उसके प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के लिए दायी होगा ।”।

41. मूल अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) में, “यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी के पास” शब्दों के स्थान पर, “यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के पास” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 114 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 116 में,—

धारा 116 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण, पहली अनुसूची में उपबंधित किए गए अनुसार मोटर यान यातायात विनियमन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चिह्नों को लगवा या स्थापित या हटवा सकेगा या ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसे किसी चिह्न या विज्ञापन को हटाए जाने

का आदेश दे सकेगी, जो उसकी राय में इस प्रकार लगाया गया है, जो किसी यातायात चिह्न को दिखाई देने से रोकता है या किसी यातायात चिह्न के समान दिखाई देता है, जिससे कि चालक के भ्रमित होने या उसकी सावधानी हटने या ध्यान भंग होने की संभावना है :

परंतु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकार के प्राधिकरणों से सहायता मांग सकेगा और उक्त राज्य सरकार ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगी।’;

(ii) उपधारा (3) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

43. मूल अधिनियम की धारा 117 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 117 का संशोधन।

“परंतु राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण ऐसे स्थलों का अवधारण करते समय सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध संचलन को पूर्विकता प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण भी ऐसे स्थानों को अवधारित कर सकेगा।”।

1988 का 68

44. मूल अधिनियम की धारा 129 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 129 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना।

“129. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अधिक है और जो किसी वर्ग या विवरण की मोटर साइकिल का चालन या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक सिर के पहनावे को पहनेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो कि सिख है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी कर रहा हो, तो पगड़ी धारण कर रहा है :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु की बालकों की सुरक्षा के लिए उपायों का उपबंध कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—“सुरक्षात्मक सिर के पहनावे” से ऐसा कोई हेलमेट अभिप्रेत है,—

(क) जिससे उसके आकार, सामग्री और संरचना के कारण युक्तियुक्त रूप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी दुर्घटना की दशा में किसी मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को शारीरिक क्षति से किसी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा ; और

(ख) जिसे उसको पहनने वाले व्यक्ति के सिर पर सुरक्षित रूप से, सिर के पहनावे में लगे हुए स्ट्रैप या अन्य बंधकों के द्वारा कस कर बांधा जाता है।”।

नई धारा
134क का
अंतःस्थापन।
नेक व्यक्ति की
संरक्षा।

45. मूल अधिनियम की धारा 134 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“134क. (1) कोई नेक व्यक्ति उस समय किसी मोटर यान को संलिप्त करने वाले किसी दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को किसी क्षति या उसकी मृत्यु के लिए किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा, जहां ऐसी क्षति या मृत्यु नेक व्यक्ति की आपातकाल चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता करते समय कोई कार्रवाई करने या कार्रवाई करने में असफल रहने संबंधी अनावधानता के परिणामस्वरूप हुई है :

(2) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, नेक व्यक्ति से पूछताछ या उसकी परीक्षा करने, नेक व्यक्ति से संबंधित निजी जानकारी के प्रकटन और ऐसे अन्य संबंधित विषयों हेतु प्रक्रिया के लिए उपबंध कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नेक व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सद्भावपूर्वक, स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी परितोष या अनुतोष की आशा के दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकाल चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता उपलब्ध कराता है या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है।”।

धारा 135 का
संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) में, “प्रक्षेत्र” शब्द के स्थान पर, “प्रक्षेत्र ; और” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) जनता की सुरक्षा और सुविधा के हितों में कोई अन्य सुविधाएं।” ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण के संबंध में गहन अध्ययन करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी।”।

47. मूल अधिनियम की धारा 136 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“136क. (1) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, राज्य के भीतर ऐसी सड़कों या ऐसे किसी शहरी नगर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सड़कों पर उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति में सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी।

नई धारा
136क का
अंतःस्थापन।
सड़क सुरक्षा की
इलैक्ट्रॉनिक
मानीटरी और
प्रवर्तन।

(2) केंद्रीय सरकार, सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, गति मापक गन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और कोई अन्य प्रौद्योगिकी भी है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा” पद से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहनी जाने वाली मोबाइल श्रव्य और दृश्य रिकार्ड करने वाली युक्ति अभिप्रेत है।”।

48. मूल अधिनियम की धारा 137 में,—

धारा 137 का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 129 के अधीन सुरक्षात्मक सिर के पहनावे के मानकों और सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु उपायों का उपबंध करने ;”

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) राज्य सरकारों द्वारा धारा 136क की उपधारा (1) के अधीन नगरों की सीमाओं का उपबंध करना ; और

(घ) धारा 136क की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए उपबंध करना।”।

49. मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 138 का संशोधन।

“(1क) राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा के हित में, गैर-यांत्रिक रूप से नोदित होने वाले यानों के क्रियाकलापों और उनकी तथा पैदल चलने वालों की, सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में, ऐसे नियमों की विरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी।”।

अध्याय 10 का लोप।

50. मूल अधिनियम के अध्याय 10 का लोप किया जाएगा।

अध्याय 11 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

51. मूल अधिनियम के अध्याय 11 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अध्याय 11

मोटर यानों का पर-व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा

परिभाषाएं।

145. इस अध्याय में,—

(क) “प्राधिकृत बीमाकर्ता” से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो भारत में तत्समय साधारण बीमा कारबार कर रहा है और जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा

1999 का 41

विनियामक और विकास प्राधिकरण और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन साधारण बीमा कारबार करने के लिए प्राधिकृत किसी सरकारी बीमा निधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है ;

1972 का 57

(ख) “बीमा प्रमाणपत्र” से धारा 147 के अनुसरण में किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अपेक्षाओं का, जो विहित की जाएं, अनुपालन करने वाला कवर नोट भी है, और जहां किसी पालिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं या जहां किसी प्रमाणपत्र की प्रति जारी की गई है, वहां यथास्थिति, ऐसे सभी प्रमाणपत्र या वह प्रति भी है ;

(ग) “घोर उपहति” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में उसका है ;

1860 का 45

(घ) “हिट एंड रन मोटर दुर्घटना” से ऐसी कोई दुर्घटना अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से कारित हुई है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त प्रयास करने के बावजूद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती ;

(ङ) “बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

1999 का 41

(च) “बीमा पालिसी” के अंतर्गत बीमा प्रमाणपत्र भी है ;

(छ) “संपत्ति” के अंतर्गत सड़कें, पुल, पुलिया, सेतुक, स्तंभ, पेड़, मील के पत्थर और किसी मोटर यान में वहन किए जाने वाले यात्रियों का सामान तथा माल भी हैं ;

(ज) “व्यतिकारी देश” से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है, जो व्यतिकारिता के आधार पर केंद्रीय सरकार, किसी परिवहन यान का चालक और कोई अन्य सहकर्मी द्वारा राजपत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यतिकारी देश के रूप में अधिसूचित किया जाए ;

(झ) “पर-पक्षकार” के अंतर्गत सरकार, किसी परिवहन यान का चालक और उसका कोई अन्य सहकर्मी भी है ।

146 (1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रूप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो :

पर-पक्षकार
जोखिमों के
विरुद्ध बीमा की
आवश्यकता ।

परंतु किसी ऐसे यान की दशा में, जो खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन कर रहा है या उनका वहन करने के लिए है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन बीमा की पालिसी भी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मोटर यान का, संदाय प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में चालन करने वाले किसी व्यक्ति के, जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा यथापेक्षित कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, बारे में तब तक यह

नहीं समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के उल्लंघन में कोई कार्य किया है, जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी यान और ऐसे किसी यान को लागू नहीं होंगे, जिनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, यदि यान का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण ;

(ग) किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण ;

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी निधि की स्थापना न कर दी गई हो और उसे उस प्राधिकरण द्वारा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बनाए रखा न जा रहा हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “समुचित सरकार” से, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है, और—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती है।

147. (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कोई बीमा पालिसी ऐसी पालिसी होनी चाहिए,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई है, जो कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता है ; और

(ख) जो पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का बीमा निम्नलिखित के विरुद्ध करता है,—

(i) किसी ऐसे दायित्व के, जो उसके द्वारा किसी मोटर यान में सवारी करने वाले किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत होने वाले किसी पर-पक्षकार की

नीतियों की
अपेक्षा और
दायित्व की
सीमाएं।

संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उपगत किया जाए ;

(ii) किसी परिवहन यान के किसी यात्री, किसी माल यान के निःशुल्क यात्री को छोड़कर, की मृत्यु या शारीरिक क्षति के, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत हुई है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या किसी पर-पक्षकार की किसी संपत्ति को नुकसान किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसे शारीरिक क्षति पहुंची है या संपत्ति, जिसका नुकसान हुआ है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थे, कारित हुआ या उद्भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसा कारण या लोप, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, सार्वजनिक स्थान में कारित किया गया था ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई घोर उपहति के संबंध में परपक्षकार बीमा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से उपधारा (1) के अधीन किसी बीमा पालिसी के लिए एक आधारिक प्रीमियम विहित करेगी और साथ ही ऐसे प्रीमियम के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व को भी विहित करेगी ।

(3) कोई पालिसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा पालिसी ली गई है, के पक्ष में विहित प्ररूप में ऐसा बीमा प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो, जिसमें किसी ऐसी शर्त के संबंध में विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जिनके अधीन पालिसी जारी की गई है और उसमें अन्य विहित विषय भी अंतर्विष्ट होंगे ; और भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियां और विषय विहित किए जा सकेंगे ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के आरंभ से पूर्व जारी की गई कोई बीमा पालिसी संविदा के अधीन विद्यमान निबंधनों पर जारी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया है ।

(5) जहां इस अध्याय या तद्विन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कवर नोट जारी किए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पालिसी जारी नहीं की जाती है, वहां बीमाकर्ता, कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर इस तथ्य को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार विहित करे, अधिसूचित करेगा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन बीमा पालिसी जारी करने वाला कोई बीमाकर्ता, किसी ऐसे दायित्व के संबंध में, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की दशा में पालिसी के अंतर्गत आना तात्पर्यित है, पालिसी में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की क्षतिपूर्ति करेगा ।

148. जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र

व्यतिकारी देश
में जारी की गई
बीमा की

के भीतर प्रचालित होता है और व्यक्तिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकते हैं के अध्याधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पालिसी सर्वत्र मार्ग या क्षेत्र जिसके संबंध में ठहराव किया गया है, यदि बीमा की पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, पर प्रभावी होगी ।

पालिसी की विधिमन्यता ।

149. (1) बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी ।

बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया ।

(2) प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी तीस दिन के भीतर, ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्रक्रियाओं, जैसा विहित किया जाए का अनुसरण करने के पश्चात् दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा ।

(3) यदि दावाकर्ता जिसको उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव किया गया है,—

(क) ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो,—

(i) दावा अधिकरण ऐसे निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा, और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा, और

(ii) बीमा कंपनी द्वारा समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा ।

(ख) ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी ।

पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य ।

150. (1) धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पालिसी प्रभावी की गई है के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ऐसे दायित्व (जो पालिसी के निबंधनों द्वारा समाविष्ट दायित्व के होते हुए) जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 164 के उपबंधों के अधीन पालिसी द्वारा समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है, की बाबत निर्णय या पंचाट, पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध अभिप्राप्त किया जाता है, तब इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को परिवर्जित या रद्द करने अथवा परिवर्तित या रद्द किए जा सकने का हकदार हो सकेगा, बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए पंचाट के अधीन फायदे के हकदार व्यक्ति को इसके अधीन देय बीमाकृत राशि से अनधिक राशि का तो दायित्व की बाबत, लागतों के संबंध में देय रकम के साथ और ऐसी राशि पर निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी अधिनियमितियों के आधार पर देय ब्याज के साथ किसी राशि का इस प्रकार मानो वह व्यक्ति निर्णीतऋणी था, संदाय करेगा ।

(2) ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत उपधारा (1) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि तब तक देय नहीं होगी, जब तक उन कार्यवाहियों, जिनमें निर्णय या पंचाट दिया गया है, में कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता न्यायालय या, यथास्थिति, दावा अभिकरण द्वारा ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में कार्यवाहियां लाने और जब तक किसी

अपील के लंबित रहने के दौरान उसके निष्पादन को आस्थगित किया जाता है, सूचित किया गया था; और बीमाकर्ता जिसको ऐसी कार्यवाहियां लाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्नलिखित आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा का हकदार होगा अर्थात् :—

(क) यदि पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ हो, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक हो, अर्थात् :—

(i) कोई शर्त जो यान के उपयोग को निम्नलिखित के लिए, अपवर्जित करती है :—

(अ) भाड़े पर लेने या पारिश्रमिक के लिए, जहां बीमा की संविदा की तारीख को यान भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए इस्तेमाल करने की अनुज्ञा समाविष्ट नहीं थी ; या

(आ) दौड़ प्रतियोगिता या गति परीक्षण आयोजित करने के लिए ; या

(इ) जहां यान एक परिवहन यान है वहां यान उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है जो उस अनुज्ञा द्वारा, जिसके अधीन उसका उपयोग किया जाता है, अनुज्ञात नहीं किया गया है ; या

(ई) साइड कार संलग्न नहीं की गई है जहां यान एक दो पहिया यान है ; या

(ii) नामित व्यक्ति या किसी व्यक्ति जो सम्यक रूप से अनुज्ञप्त नहीं है द्वारा या कोई व्यक्ति जो निर्हरता की अवधि के दौरान चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित कर दिया गया है या जो धारा 185 में अधिकथित किए गए अनुसार अल्कोहल या मादक द्रव्यों के प्रभाव के अधीन चालन कर रहा है, द्वारा चालन को अपवर्जित करने वाली कोई शर्त ;

(iii) युद्ध, गृह युद्ध, बल्वे या सिविल अशांति की परिस्थितियों द्वारा क्षति कारित होने या उनके कारण क्षति कारित होने के लिए दायित्व अपवर्जित करने वाली कोई शर्त ;

(ख) पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह तात्विक तथ्यों को प्रकट न करके प्राप्त की गई थी या ऐसे तथ्यों जो कुछ तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या थे, के व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी ;

(ग) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फख के अधीन यथा अपेक्षित प्रीमियम की अप्राप्ति ।

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, व्यतिकारी देश के न्यायालय से प्राप्त किया जाता है और विदेशी निर्णय की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 13 के उपबंधों के कारण उसमें किए गए न्यायनिर्णयन के आधार पर किसी मामले में निश्चायक है, बीमाकर्ता (जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन

1938 का 4

1908 का 5

1938 का 4

रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है और चाहे ऐसा व्यक्ति व्यतिकारी देश की तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) डिक्री के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के प्रति ऐसी रीति से और उस विस्तार तक जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है जैसे कि निर्णय या पंचाट भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया था, दायी होगा :

परंतु किसी ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत बीमाकर्ता कोई राशि देने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कार्यवाहियां जिनसे निर्णय या पंचाट दिया जाता है, प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता को संबद्ध न्यायालय जिसमें कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं, के माध्यम से सूचना नहीं प्राप्त होती और बीमाकर्ता जिसे ऐसी सूचना दी गई है व्यतिकारी राज्य की तत्स्थानी विधि के अधीन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समान आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा करने के लिए पक्षकार बनाए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(4) जहां धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पालिसी प्रभावी की गई है, को जारी किया जाता है, बीमाकृत व्यक्तियों के बीमा को निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित पालिसी के अधिकांश भाग का, जो उपधारा (2) में है, से भिन्न अन्य शर्तों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे दायित्वों के संबंध में जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी द्वारा समाविष्ट किए जाने अपेक्षित है, का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(5) कोई बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, किसी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या पंचाट या, यथास्थिति, उपधारा (2) या व्यतिकारी देश की तत्स्थानी विधि में उपबंधित रीति से अन्यथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निर्णय के अधीन फायदे का हकदार है के प्रति अपने दायित्व के परिवर्जन का हकदार नहीं होगा ।

(6) यदि दावा दाखिल करने की तारीख पर, दावाकर्ता को, बीमा कंपनी जिसके साथ यान बीमाकृत किया गया है, की जानकारी नहीं है, तो यान के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि अधिकरण या न्यायालय को यह सूचना दे कि क्या दुर्घटना की तारीख को यान बीमाकृत था या नहीं और यदि हां, तो उस बीमा कंपनी का नाम जिसके साथ वह बीमाकृत है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ—

(क) “पंचाट” से दावा अधिकरण द्वारा धारा 168 के अधीन किया गया पंचाट अभिप्रेत है;

(ख) “दावा अधिकरण” से धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “पालिसी के निबंधनों द्वारा समाविष्ट दायित्व” से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है, जो पालिसी द्वारा समाविष्ट किया जाता है या जो इस प्रकार समाविष्ट किया जाता है, लेकिन इस तथ्य के कारण समाविष्ट नहीं है कि बीमाकर्ता पालिसी को परिवर्जित या रद्द करने या परिवर्जित या रद्द किए जाने के लिए हकदार है या उसने पालिसी को परिवर्जित या रद्द कर दिया है ; और

(घ) “तात्विक तथ्य और ताल्विक विशिष्टि” से क्रमशः एक तथ्य या विशिष्टि अभिप्रेत है, जो ऐसी प्रकृति की है कि एक प्रज्ञावान बीमाकर्ता के यह अवधारित करना कि क्या वह जोखिम लेगा, यदि हां तो किस प्रीमियम दर और किन शर्तों पर, के निर्णय को प्रभावित करते हैं ।

151. (1) जहां बीमा की किसी संविदा के, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होती है, किसी व्यक्ति का ऐसे दायित्वों के विरुद्ध, जो वह पर-पक्षकार के प्रति उपगत कर सकता है, बीमाकृत किया जाता है तब—

(क) व्यक्ति के दिवालिया होने या अपने लेनदारों के साथ प्रतिकर या ठहराव किए जाने की दशा में ; या

(ख) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश किए जाने या स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किए जाने या कंपनी के कारबार के रिसेवर या प्रबंधक की सम्यक रूप से नियुक्ति किए जाने या प्रभार के अधीन या समाविष्ट संपत्ति के प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूति डिंबचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जे में लिए गए, की दशा में,

यदि उस घटना के पहले या पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत किये गए ऐसे दायित्व, दायित्व की बाबत संविदा के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के उपबंध के प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पर-पक्षकार जिसके द्वारा दायित्व इस प्रकार उपगत किया गया था को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी ।

(2) जहां दिवाला विषयक विधि के अधीन मृतक दावेदार की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश किया जाता है तब पर-पक्षकार, जिसके विरुद्ध वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा की संविदा के अधीन बीमाकृत था, के दायित्व की बाबत मृतक द्वारा धारित कोई दिवाला साध्य ऋण मृतक देनदार के उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार, विधि के किन्हीं उपबंधों में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऋण धारित किया जाता है, को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जारी की गई पालिसी की किसी ऐसे शर्त का, जो पालिसी को प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः परिवर्जित या पक्षकारों के अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए तात्पर्यित है इसके अधीन उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट घटना बीमाकृत व्यक्ति के साथ घटित होने पर या दिवाला विषयक विधि के अनुसार मृतक देनदार की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश करने पर, कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(4) धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर बीमाकर्ता का पर-पक्षकार के प्रति वही दायित्व होगा जो उसका बीमाकृत व्यक्ति के प्रति होता, लेकिन—

(क) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के

पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से अधिक है, तो ऐसी अतिशेष रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा ;

(ख) यदि बीमाकृत का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से कम है, तो ऐसी अधिक रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा ।

152. (1) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दायित्व की बाबत दावा किया गया है, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, वह यह कथन करने से इंकार नहीं कर सकेगा कि क्या वह इस अध्याय के अधीन जारी की गई किसी पालिसी द्वारा दायित्व की बाबत बीमाकृत था या नहीं था वह इस प्रकार बीमाकृत होता यदि बीमाकर्ता ने पालिसी इस प्रकार परिवर्जित या रद्द नहीं की होती ; न ही वह तब इस संबंध में जारी किए गए बीमा प्रमाणपत्र में इसके संबंध में यथाविनिर्दिष्ट की गई पालिसी की बाबत ऐसी विशिष्टियां देने से इंकार करेगा यदि वह इस प्रकार बीमाकृत था या होता ।

बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा दिवाला होने की दशा में या उसके देनदारों के साथ ठहराव किए जाने की दशा में या दिवाला विषयक विधि के अनुसार मृतक व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए किए गए आदेश की दशा में या किसी कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश किए जाने या स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किए जाने या कंपनी के कारबार या उपक्रम के रिसीवर या प्रबंधक या सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने या प्रभार के अधीन या समाविष्ट संपत्ति के प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जा लिए जाने की दशा में, दिवाला लेनदार मृतक लेनदार के, यथास्थिति, निजी प्रतिनिधि या कंपनी या दिवाला के शासकीय समनुदेशिनी या रिसीवर, न्यासी, परिसमापक, रिसीवर या प्रबंधक या संपत्ति के कब्जाधारी व्यक्ति का दायित्व होगा कि किसी दावाकर्ता व्यक्ति के निवेदन पर सूचना दे कि दिवाला लेनदार, मृतक लेनदार या कंपनी इस अध्याय के उपबंधों द्वारा समाविष्ट ऐसे दायित्व के अधीन है ऐसी सूचना यह अभिनिश्चित करने कि क्या उसमें धारा 151 द्वारा कोई अधिकार अन्तरित या निहित किए गए हैं, के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है और ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यदि कोई हो, ऐसे बीमा संविदा, तात्पर्यित है क्या, उपरोक्त दशा में ऐसी सूचना दिए जाने पर इसके अधीन प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षतः संविदा को परिवर्जित या पक्षकार के अधिकारों को परिवर्तित करती है या अन्यथा उक्त दशाओं में उसके किए जाने को प्रतिषिद्ध करती है या निवारित करने के लिए तात्पर्यित है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा किसी को दी गई सूचना से, उसके पास समर्थन के लिए युक्तियुक्त आधार है कि विशिष्ट बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार उसे इस अध्याय के अधीन अंतरित किया गया है या किया जा सकता है कि बीमाकर्ता ऐसे कर्तव्य के अध्यक्षीन होगा जैसा उक्त उपधारा के द्वारा इसमें उल्लिखित व्यक्तियों पर अधिरोपित किया गया है ।

(4) इस धारा द्वारा अधिरोपित सूचना देने के कर्तव्य के अंतर्गत सभी बीमा की

संविदाओं के प्रीमियमों के लिए प्राप्तियों और अन्य सुसंगत दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति के कब्जे और शक्ति में हैं जिन पर निरीक्षण करने और प्रतियां प्राप्त करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है भी है ।

बीमाकर्ता और
बीमाकृत
व्यक्तियों के बीच
समझौता ।

153. (1) बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी दायित्व के संबंध में पर-पक्षकार द्वारा किए जा सकने वाले दावे की बाबत किया गया समझौता विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि पर-पक्षकार समझौता का एक पक्षकार न हो ।

(2) दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि समझौता सद्भाविक है और असम्यक प्रभाव के अधीन नहीं किया गया था तथा प्रतिकर धारा 164 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अनुसूची के अनुसार दिया गया है ।

(3) जहां एक व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जारी की गई पालिसी के अधीन बीमाकृत है दिवालिया हो जाता है या जहां ऐसा बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी के संबंध में परिसमापन आदेश किया गया है या स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किया गया है, बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच कोई भी ठहराव पर-पक्षकार द्वारा दायित्व उपगत किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा और, यथास्थिति, दिवाला या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, के प्रारंभ होने के पश्चात् किया गया कोई अधित्यजन, समनुदेशन या अन्य व्ययन या उपरोक्त प्रारंभ के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति को किया गया संदाय इस अध्याय के अधीन पर-पक्षकार को अंतरित किए गए अधिकारों को विफल करने के लिए प्रभावी नहीं होगा, लेकिन वे अधिकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा ठहराव, अधित्यजन, समनुदेशन या व्ययन नहीं किया गया है ।

धारा 151, धारा
152 और धारा
153 के संबंध में
व्यावृत्ति ।

154. (1) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लिए बीमा की किसी पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में "पर-पक्षकारों के दायित्वों" के प्रतिनिर्देश में उस व्यक्ति की किसी अन्य बीमा की पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में कोई दायित्व सम्मिलित नहीं होगा ।

(2) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जो कंपनी पुर्निर्माण या अन्य कंपनी के साथ केवल समामेलन के प्रयोजन के लिए परिसमाप्त की जाती है ।

1925 का 36

155. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है की मृत्यु पर यदि ऐसी घटना जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावों को उठाया गया है होने के पश्चात् यह घटित होता है उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से उद्भूत किसी वाद हेतुक की उत्तरजीविका को वर्जित नहीं करेगा ।

कतिपय वाद
हेतुको पर मृत्यु
का प्रभाव ।

156. जब बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा की संविदा की बाबत बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है तब,—

बीमा प्रमाणपत्र
का प्रभाव ।

(क) यदि और जहां तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को जारी नहीं की गई है, बीमाकर्ता द्वारा स्वयं और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे प्रमाणपत्र में कथित वर्णन और सभी विशिष्टियों के अनुरूप बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पालिसी जारी की गई समझी जाएगी ;

(ख) यदि बीमाकर्ता ने बीमाकृत को प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी जारी की है, लेकिन पालिसी की वास्तविक निबंधन, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्षतः या बीमाकृत व्यक्ति के माध्यम से पालिसी के अधीन या के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हैं तब पालिसी की विशिष्टियां जैसा प्रमाणपत्र में कथित है, पालिसी जैसी बीमाकर्ता और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच है उक्त प्रमाणपत्र में कथित विशिष्टियों की सभी बातों में निबंधनों के अनुरूप समझी जाएगी ।

157. (1) जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पालिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसा समझा गया अंतरण उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों को सम्मिलित करेगा ।

(2) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पालिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

158. (1) ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला रहा है, वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वाहन के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित पेश करेगा—

(क) बीमा प्रमाणपत्र ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के अधीन होने का प्रमाणपत्र ;

(घ) चालन अनुज्ञप्ति ;

(ङ) परिवहन यान की दशा में, धारा 56 में निर्दिष्ट उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र भी ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किया जा सकने वाला कोई भी प्रमाणपत्र या छूट का प्राधिकार ।

(2) जहां सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान की उपस्थिति के कारण दुर्घटना घटित होती है जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है, यदि यान का चालक उस समय अपेक्षित प्रमाणपत्र, चालन अनुज्ञप्ति और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता तो वह या स्वामी उक्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र पुलिस थाने में जिसमें चालक रिपोर्ट करता है, पेश करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पेश किए जाने में असफलता के कारण, अपराधों के लिए दोषसिद्ध किए जाने के दायी नहीं

बीमा के
प्रमाणपत्र का
अंतरण ।

कतिपय मामलों
में कतिपय
प्रमाणपत्रों,
अनुज्ञप्ति और
अनुज्ञापत्र का
पेश किया
जाना ।

होगा यदि, वह, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित या तारीख, दुर्घटना के घटित होने से सात दिनों के भीतर यथास्थिति, पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा उसका पेश किया जाना अपेक्षित है, द्वारा उसको विनिर्दिष्ट किए गए पुलिस थाने में या जैसा भी मामला हो, दुर्घटना के स्थान पर पुलिस अधिकारी से या उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को जहां उसने दुर्घटना की रिपोर्ट की है, प्रमाणपत्र पेश करता है :

परंतु ऐसे विस्तार के साथ और ऐसे उपांतरण के साथ जैसा विहित किया जाए, इस उपधारा के उपबंध किसी परिवहन यान के चालक को लागू नहीं होंगे ।

(4) मोटरयान का स्वामी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गए पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से अपेक्षित सूचना यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या यान धारा 146 के उल्लंघन में चलाया या नहीं चलाया जा रहा था और किसी अन्य अवसर पर जब चालक से इस खंड के अधीन बीमा प्रमाणपत्र पेश किए जाने की अपेक्षा की जाए, देगा ।

(5) इस धारा में “बीमा के प्रमाणपत्र को पेश करना” अभिव्यक्ति से बीमा के सुसंगत प्रमाणपत्र या ऐसे अन्य साक्ष्य, जो इस बात को साबित करने के लिए विहित किया जाए कि यान धारा 146 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था, को परीक्षा के लिए पेश किया जाना अभिप्रेत है ।

159. पुलिस अधिकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अधिकरण जो विहित किया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा ।

160. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो यह अभिकथित करता है कि वह मोटर कार के उपयोग से उदभूत दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, ऐसा अपेक्षित किया जाए या बीमाकर्ता द्वारा जिसके विरुद्ध किसी मोटरयान की बाबत दावा किया गया है, ऐसा अपेक्षित किया जाए तो, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, विहित फीस के संदाय पर, उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी को यान के पहचान चिन्हों या अन्य विशिष्टियों और उस व्यक्ति, जो यान का उपयोग दुर्घटना के समय कर रहा था या उसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था का नाम और पता और संपत्ति, यदि कोई हो, जिसका नुकसान हुआ है, की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, देगा ।

161. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों के अनुसार हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु, या उनको घोर उपहति की बाबत, प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (3) के अधीन बनायी गई स्कीम के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिकर संदत्त किया जाएगा,—

(क) हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु

हिट एंड रन
मोटरयान
दुर्घटना में
प्रतिकर के
विशेष उपबंध ।

दुर्घटना के संबंध
में सूचना का
दिया जाना ।

दुर्घटना में
संलिप्त यान की
विशिष्टियां
प्रस्तुत करने का
कर्तव्य ।

की बाबत, दो लाख रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ख) हिट एंड रन दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति की बाबत, पचास हजार रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम, ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें केन्द्रीय सरकार या साधारण बीमा परिषद् द्वारा स्कीम प्रशासित की जाएगी, प्ररूप , रीति और समय जिसमें प्रतिकर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, अधिकारी या प्राधिकारी जिसको ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और स्कीम के प्रशासन और इस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय से संबंधित या अनुषंगिक अन्य मामले में, बना सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनायी गई स्कीम यह उपबंध कर सकेगी, कि—

(क) ऐसी किसी स्कीम के अधीन किसी दावाकर्ता को अंतरिम अनुतोष के रूप में ऐसी राशि का संदाय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करना ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ग) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य, केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ।

1972 का 57

162. (1) साधारण बीमा कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी भारत में तत्समय कारबार कर रही साधारण बीमा कंपनियों इसे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के, जिसके अंतर्गत स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीड़ित भी हैं, उपचार के लिए उपबंध करेंगी ।

स्वर्णिम काल के लिए स्कीम ।

(2) केन्द्रीय सरकार स्वर्णिम काल के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए स्कीम बनाएगी और ऐसी स्कीम में ऐसे उपचार के लिए निधि के सृजन संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे ।

धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

163. (1) धारा 161 के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको हुई घोर उपहति की बाबत प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि यदि कोई प्रतिकर जिसे इस उपधारा में इसमें आगे अन्य प्रतिकर कहा गया है या प्रतिकर के लिए दावे के बदले में या इस के चुकाए जाने के रूप में अन्य इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या अन्यथा के अधीन ऐसी मृत्यु या घोर उपहति की बाबत अधिनिर्णीत की जाती है या संदत्त की जाती हैं, तो अन्य उतनी प्रतिकर या अन्य पूर्वोक्त रकम का जितनी धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर है बीमाकर्ता को वापस लौटा दी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 161 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से भिन्न मोटर यान के उपयोग के कारण हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अन्तर्वलित करने वाली दुर्घटना के संबंध में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने से पूर्व दावा अधिकरण, न्यायालय या अन्य ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला प्राधिकारी इस बारे में कि क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय धारा 161 के अधीन पहले ही कर दिया गया है या प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन उस धारा के अधीन लंबित है और ऐसा अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी—

(क) यदि प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले संदत ही कर दिया गया है, उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह बीमाकर्ता को उसके उतने भाग का प्रतिदाय करे जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वापस किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) यदि प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन धारा 161 के अधीन लंबित है तो वह बीमाकर्ता को उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के बारे में विशिष्टियां अग्रेषित करेगा ;

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन तब लंबित समझा जाएगा,—

(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है तो आवेदन की नामंजूरी की तारीख तक ; और

(ii) किसी अन्य मामले में आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर के संदाय की तारीख तक ।

164. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हुए, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उदभूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी ।

164क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां किसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, दावा

दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम ।

मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय ।

उद्धृत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन संवितरित निधियों की वसूली की प्रक्रिया के लिए भी उपबंध होगा ।

164ख. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना नामक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

मोटरयान
दुर्घटना निधि ।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तथा अनुमोदित प्रकृति का संदाय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि में किए गए कोई अनुदान या ऋण ;

(ग) धारा 163 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सृजित निधि का अतिशेष, जैसा वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था ;

(घ) आय का कोई अन्य स्रोत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सड़क उपयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि गठित की जाएगी ।

(3) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का उपचार ;

(ख) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधियों को प्रतिकर ;

(ग) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर, जिसे घोर उपहति कारित हुई है ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) अधिकतम दायित्व रकम, जिसे प्रत्येक मामले में संदत्त किया जा सकता है, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी मामलों में, जब ऐसे व्यक्तियों का दावा संदेय हो जाता है, जहां किसी व्यक्ति को रकम का संदाय इस निधि में से किया गया है वहां वही रकम बीमा कंपनी से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त दावे से कटौती योग्य होगी ।

(6) निधि का प्रबंध ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे—

(क) अभिकरण के बीमा कारबार की जानकारी ;

(ख) निधियों का प्रबंध करने की अभिकरण की क्षमता ;

(ग) कोई अन्य मापदंड जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(7) केन्द्रीय सरकार, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में निधि के लेखाओं की एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगी ।

(8) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(9) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास सरकारी लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा और विशिष्ट रूप से उनके पास बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को पेश करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(10) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निधि के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(11) धारा 161 की उपधारा (3), जैसी वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, के अधीन विरचित किसी स्कीम को बंद किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन प्रोदभूत होने वाले सभी अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति निधि में से की जाएगी ।

164ग. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्ररूप,—

(i) बीमा पालिसी का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट रूप में उसमें अंतर्विष्ट होंगी ;

(ii) धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र में अंतरण के तथ्य के संबंध में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप ;

(iii) वह प्ररूप, जिसमें दुर्घटना की जानकारी संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी, वे विशिष्टियां, जो उनमें अंतर्विष्ट होंगी, धारा 159 की उपधारा (1) के अधीन उस रिपोर्ट को दावा अधिकरण या किसी अन्य अभिकरण के सामने प्रस्तुत करने की रीति और समय ;

(iv) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप ;

(v) धारा 164ख की उपधारा (7) के अधीन मोटर यान दुर्घटना निधि के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप ;

(ख) बीमा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना तथा उन्हें जारी करना ;

(ग) गुमशुदा, विनष्ट या विकृत बीमा प्रमाणपत्रों को बदलने के लिए दूसरी प्रति जारी करना ;

(घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, प्रस्तुतिकरण निरस्तीकरण और अभ्यर्पण ;

(ड.) इस अध्याय के अधीन जारी बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा अभिलेखों का रखा जाना ;

(च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों या अन्यथा द्वारा पहचान ;

(छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा की पालिसियों के संबंध में जानकारी देना ;

(ज) केवल अस्थायी रूप से रुकने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में लाए गए यानों को व्यक्तिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए और विहित उपांतरणों सहित इन उपबंधों को लागू करके भारत में किसी मार्ग पर या किसी क्षेत्र में प्रचालित करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों को अंगीकार करना ;

(झ) वे अपेक्षाएं, जिनके संबंध में किसी बीमा प्रमाणपत्र से धारा 145 के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है ;

(ञ) धारा 146 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन ;

(ट) धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन न्यूनतम प्रीमियम और बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व ;

(ठ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई बीमा पालिसी जारी की जाएगी और धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट उससे संबंधित अन्य विषय ;

(ड) धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन समझौते के ब्यौरे, ऐसे समझौते की समय-सीमा और उसकी प्रक्रिया ;

(ढ) धारा 158 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन छूटों और उपांतरणों का विस्तार ;

(ण) धारा 158 की उपधारा (5) के अधीन अन्य साक्ष्य ;

(त) ऐसा अन्य अभिकरण, जिसको धारा 159 में यथानिर्दिष्ट दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(थ) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा और फीस ;

(द) धारा 161 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मृत्यु के संबंध में प्रतिकर की उच्चतर रकम ;

(ध) धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट अंतरिम अनुतोष के रूप में संदत्त की जाने वाली राशि ;

(न) धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(प) ऐसे अन्य स्रोत, जिनसे धारा 164क की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट स्कीम के लिए निधियां वसूल की जा सकेंगी ;

(फ) किसी अन्य स्रोत से कोई आय, जिसे धारा 164ख की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान दुर्घटना निधि में जमा किया जाएगा ;

(ब) वे व्यक्ति, जिनको धारा 164ख की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन प्रतिकर का संदाय किया जा सकेगा ;

- (भ) धारा 164ख की उपधारा (4) के अधीन दायित्व की अधिकतम रकम ;
 (म) धारा 164ख की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मानदंड ;
 (य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं ।

सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

164घ. (1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 147 की उपधारा (5) के अधीन अन्य प्राधिकारी ; और

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं ।”।

धारा 165 का
संशोधन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 165 के स्पष्टीकरण में “धारा 140 और धारा 163क” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 164” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 166 का
संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 166 में,—

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार करता है, वहां दावा अधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यपगत हो जाएगी ।” ;

(ii) उपधारा (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से छह मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो ।

(iv) उपधारा (4) में “धारा 158 की उपधारा (6)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “धारा 159” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(v) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी दुर्घटना में क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है, उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मृत्यु का कारण क्षति वाले अन्तर्संबंध से संबंधित है या नहीं या इसका उसके साथ कोई अन्तर्संबंध था या नहीं, विद्यमान होगा ।” ।

54. मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (1) में,—

(i) “धारा 162” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 163” शब्द और अंक रखे

धारा 168 का
संशोधन ।

जाएंगे ;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

55. मूल अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 169 का संशोधन ।

“(4) इसके अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, दावा अधिकरण को भी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी मानो अधिनिर्णय किसी सिविल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय के लिए डिक्री थी ।” ।

56. मूल अधिनियम की धारा 170 में “धारा 149” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 150” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 170 का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (2) में, “दस हजार ” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 173 का संशोधन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 177 में, “एक सौ रुपए” और “तीन सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, क्रमशः “पांच सौ रुपए” और “एक हजार पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 177 का संशोधन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 177 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 177क का संशोधन ।

“177क. जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।”।

धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

60. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (3) में “दो सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 178 का संशोधन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 179 में,—

धारा 179 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 180 का संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 180 में “एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 181 का संशोधन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 181 में “जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 182 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 182 में,—

(i) उपधारा (1) में “जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में “एक सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे

जाएंगे ।

नई धारा 182क का प्रतिस्थापन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 182क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

मोटर यानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रखरखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड ।

“182क(1) जो कोई मोटर यानों का विनिर्माता, आयातकर्ता या ब्यौहारी होने के कारण, मोटर यान का विक्रय करता है या परिदान करता है या उसका परिवर्तन करता है या विक्रय करने या परिदान करने या परिवर्तन करने की प्रस्थापना करता है जो अध्याय सात या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन में है, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगा या दोनो से या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक मोटर यान के लिए एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा :

परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसे मोटर यान के विक्रय या परिदान या परिवर्तन के समय उसने उस रीति, जिसमें ऐसा मोटर यान अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में था, के अन्य पक्षकारों को प्रकट किया था ।

(2) जो कोई, मोटर यान का विनिर्माता होते हुए, अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक अरब रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई, किसी मोटर यान के किसी संघटक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्थापना करता है या उसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया है और जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक संघटक के लिए एक लाख रुपए का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए, मोटर यान, किसी मोटर यान, जिसके अंतर्गत, किसी ऐसी रीति में, मोटर यान के पुर्जा का पश्च फिटिंग करने के माध्यम भी है, का परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए अधिनियमों या नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पांच रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

182ख. जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।”।

धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड ।

66. मूल अधिनियम की धारा 183 में,—

(i) उपधारा (1) में—

(क) “जो कोई मोटर यान चलाएगा” शब्दों के पश्चात्, “या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति से उसे

धारा 183 का संशोधन ।

चलवाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या यदि इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(i i) निम्नलिखित रीति में, अर्थात् :—

(i) जहां कोई ऐसा मोटर यान हल्का मोटर यान है वहां ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो हजार रुपए तक हो सकेगा ;

(ii) जहां ऐसा मोटर यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है वहां ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु चार हजार रुपए तक हो सकेगा ; और

(iii) इस उपधारा के अधीन दूसरे या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे चालक की चालन अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध कर ली जाएगी ।”।

(i i i) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

(i v) उपधारा (3) में “यांत्रिक” शब्द के पश्चात्, “इलेक्ट्रॉनिक” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(v) उपधारा (4) में “उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (1)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

67. मूल अधिनियम की धारा 184 में,—

धारा 184 का संशोधन ।

(i) “साधारण जनता के लिए खतरनाक है” शब्दों के पश्चात्, “या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और सड़कों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या करस्थम का बोध कराता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो छह मास से कम की नहीं होगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(i v) “निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) लाल बत्ती को पार करना ;

(ख) स्टॉप साइन का उल्लंघन करना ;

(ग) गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग ;

(घ) विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना ;

(ङ) यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना ;

(च) किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहां किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसी रीति में चलाना, जो पब्लिक के लिए खतरनाक हैं, अभिप्रेत होगा।”।

धारा 185 का संशोधन ।

68. मूल अधिनियम की धारा 185 में,—

(i) खंड (क) में, “श्वास विश्लेषक” शब्दों के पश्चात्, “या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है, में”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “यदि पूर्व वैसे ही अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iv) “जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मादक द्रव्य” पद से “अल्कोहल, प्राकृतिक या कृत्रिम से भिन्न कोई मद्य या कोई अन्य प्राकृतिक सामग्री या कोई लवण या ऐसे पदार्थ या सामग्री की निर्मिति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और इसके अंतर्गत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (xi v) और खंड (xxi i i) में यथा परिभाषित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ भी हैं”

1985 का 61

धारा 186 का संशोधन ।

69. मूल अधिनियम की धारा 186 में, “दो सौ रुपए” और “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक हजार रुपए” और “दो हजार रुपए” शब्द क्रमशः रखे जाएंगे ।

धारा 187 का संशोधन ।

70. मूल अधिनियम की धारा 187 में,—

(i) “(ग)” कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “(क)” अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ; और

(v) “जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

71. मूल अधिनियम की धारा 189 में,—

(i) “एक मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे

(ii) “जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए”

धारा 189 का संशोधन ।

शब्द रखे जाएंगे

(iii) “दोनों से” शब्दों के पश्चात्, “और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

72. मूल अधिनियम की धारा 190 में,—

धारा 190 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “जो दो सौ पचास रुपए तक हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पंद्रह सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ग) “दोनों से” शब्दों के पश्चात्, “और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) “एक हजार रुपए तक के जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित हो जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “दो हजार रुपए तक के जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जो दस हजार रुपए और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा” और

(ख) “जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “बीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 191 का लोप।

73. मूल अधिनियम की धारा 191 का लोप किया जाएगा।

धारा 192 का संशोधन।

74. मूल अधिनियम की धारा 192 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण--धारा 56 के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर यान का उपयोग धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन होना समझा जाएगा और उपधारा (1) में यथा उपबंधित वैसी ही रीति में दंडनीय होगा।”।

धारा 192क का

75. मूल अधिनियम की धारा 192क की उपधारा (1) में,—

संशोधन ।

(i) “प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से” शब्दों के पश्चात्, “ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा किंतु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) “जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा किंतु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

नई धारा 192ख
का अंतःस्थापन ।

76. मूल अधिनियम की धारा 192क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रीकरण से
संबंधित
अपराध ।

“192ख. (1) जो कोई, मोटर यान का स्वामी होते हुए, धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई व्यौहारी होते हुए, धारा 41 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क या आजीवन कर के पंद्रह गुना जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई, मोटर यान का स्वामी होते हुए, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करता है जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चेसिस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न हैं जो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का दस गुना रकम या आजीवन कर के दो तिहाई रकम के बराबर जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई, ऐसा व्यौहारी होते हुए, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चेसिस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जो मोटर यान के वार्षिक सड़क कर के दस गुना रकम या आजीवन कर के दो-तिहाई रकम के बराबर, जो भी अधिक हो, जुर्माने से दंडनीय होगा ।” ।

77. मूल अधिनियम में,—

(क) धारा 193 के पार्श्व शीर्षक में “अभिकर्ताओं और प्रचारकों” शब्दों के स्थान पर, “अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 193 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा औ—

(i) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में,—

धारा 193 का
संशोधन ।

(क) “जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) “जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक किंतु पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा ।

(3) जो कोई, एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय, धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्त्विक शर्त के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं है, पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।” ।

78. मूल अधिनियम की धारा 194 में,—

धारा 194 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “न्यूनतम” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) दो हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से” शब्दों के स्थान पर, “बीस हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए दो हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से” शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे अधिक भार के हटाए जाने से या ऐसे मोटर यान के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा हटवाए जाने या हटवाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।”

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) जो कोई किसी मोटर यान को उस समय चलाता है या मोटर यान को चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटर यान ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या कोई चीज शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतराई के लिए प्रभार संदाय करने के दायित्व सहित बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा :

परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यवस्थित किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं

निकला हुआ है :

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटर यान को विशिष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दे दी गई है ।

(iii) उपधारा (2) में “जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “चालीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

79. मूल अधिनियम की धारा 194 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 194क,
194ख, 194ग,
194घ, 194ङ.,
194च का
अंतःस्थापन ।

अधिक यात्रियों
का वहन ।

“194क. जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह दो सौ रुपए प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु ऐसे मोटर यान को चलने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ।”

सुरक्षा बेल्टों का
उपयोग और
बालकों का
बैठना ।

194ख. (1) जो कोई, सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु राज्य सरकार, ऐसे परिवहन यानों को, जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी ।

(2) जो कोई, किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

194ग. जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा ।

मोटर साइकिल
झड़वरों और
पिछली सवारियों
के लिए सुरक्षा
उपायों के
उल्लंघन के लिए
शास्ति ।

194घ. जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा ।

सिर के सुरक्षा
पहनावे को न
पहनने के लिए
शास्ति ।

194ड. जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर सड़क की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

आपातकालीन यानों को आबाध रूप से गुजरने देने में असफलता ।

194च. जो कोई,—

हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र ।

(क) मोटर यान चलाते समय—

(i) सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना, या

(ii) हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना, या

(ख) ऐसा मोटर यान चलाना जो ऐसे कट आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

80. मूल अधिनियम की धारा 195 का लोप किया जाएगा ।

धारा 195 का लोप ।

81. मूल अधिनियम की धारा 196 में,—

धारा 196 का संशोधन ।

(i) “वह कारावास से” शब्दों के पश्चात्, “प्रथम अपराध के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) “एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) “दोनों” शब्द के पश्चात्, “और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या चार हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 197 का संशोधन ।

82. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(i) उपधारा (1) में “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए के जुर्माने से” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में “जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए के जुर्माने से” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 198 का संशोधन ।

83. मूल अधिनियम की धारा 198 में, “जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्द के स्थान “एक हजार रुपए के” शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 198क का अंतःस्थापन ।

84. मूल अधिनियम की धारा 198 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रख-रखाव के

“198क. (1) सड़क के डिजाइन या संनिर्माण या रख-रखाव के सुरक्षा मानकों के लिए उत्तरदायी कोई अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही सड़क डिजाइन,

मानकों का
अनुपालन करने
में असफल
रहना ।

संनिर्माण और रख-रखाव के ऐसे मानकों का अनुपालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायी किसी अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही द्वारा सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रख-रखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या निःशक्तता होती है वहां ऐसा प्राधिकारी या संविदाकार या ग्राही ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उसका संदाय धारा 164ख के अधीन गठित निधि में किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए न्यायालय विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) सड़क की विशेषताएं और ऐसे यातायात की प्रकृति और किस्म जिसके द्वारा उसे युक्तियुक्त रूप से सड़क के डिजाइन के अनुसार उपयोग किया जाना संभावी है ;

(ख) उस विशेषता की सड़क और ऐसे यातायात द्वारा उपयोग के लिए लागू रख-रखाव संनियमों का मानक ;

(ग) मरम्मत की वह स्थिति जिसमें सड़क को उपयोग करने वाले उस सड़क को पाए जाने की प्रत्याशा करते हैं ;

(घ) क्या सड़क के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी यह जानता था या उससे यह जानने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती थी कि सड़क के उस भाग की, जिससे कार्रवाई संबंधित है, स्थिति के कारण सड़क का उपयोग करने वालों के खतरे में पड़ने की संभावना थी ;

(ङ) क्या सड़क के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी से युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशित था कि वह हेतुक उद्भूत होने से पूर्व सड़क के उस भाग की मरम्मत करता ;

(च) क्या सड़क चिह्नों के माध्यम से सड़क की स्थिति के संबंध में पर्याप्त चेतावनी सूचनाएं प्रदर्शित की गई थी ; और

(छ) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “संविदाकार” पद में उप-संविदाकार और ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जो किसी भी प्रक्रम पर सड़क के भाग के डिजाइन, संनिर्माण और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं ।”।

85. मूल अधिनियम की धारा 199 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“199क. (1) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है ऐसे किशोर संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा :

नई धारा
199क और धारा
199ख का
अंतःस्थापन ।
किशोर द्वारा
अपराध ।

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसे संरक्षक या स्वामी को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि किशोर द्वारा मोटर यान का प्रयोग, यथास्थिति, ऐसे किशोर का संरक्षक था या स्वामी की सहमति से किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसे संरक्षक या स्वामी को लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाला किशोर को धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी और ऐसा मोटर यान प्रचालित कर रहा था जिसे ऐसा किशोर चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया था ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटर यान बारह मास की अवधि के लिए रद्द किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां धारा 4 या धारा 7 के होते हुए भी, ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे किशोर ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी न की ली हो ।

(6) जहां इस अपराध के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां ऐसा किशोर इस अधिनियम में यथा उपबंधित ऐसे जुर्मानों से दंडनीय होगा जबकि कोई अभिरक्षक अभिरक्षा, दंडादेश किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन उपांतरित किया जा सकेगा ।

2000 का 56

जुर्मानों का पुनरीक्षण ।

199ख. इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्मानों को मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य से दस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी रकम तक बढ़ाया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।” ।

धारा 200 का संशोधन ।

86. मूल अधिनियम की धारा 200 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) “धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), हस्तधारित संसूचना युक्तियों के उपयोग के विस्तार तक ही धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196 या धारा 198 के अधीन दंडनीय” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4),

धारा 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 194, धारा 194क, 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ., धारा 194च, धारा 196, धारा 198” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त, अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी ।” ।

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के अधीन समन के होते हुए भी, ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जाएगा कि क्या पश्चात्पूर्वी अपराध किया गया है:

परंतु यह और कि किसी अपराध का समन अपराधी को धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से यदि लागू हो, उन्मुक्त नहीं करेगा ।” ।

धारा 201 का संशोधन ।

87. मूल अधिनियम की धारा 201 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “निःशक्त” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) “पचास रुपए प्रति घंटा” शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) दूसरे परंतुक में “सरकारी अभिकरण, अनुकर्षण प्रभार” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, हटाए जाने का प्रभार” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में, “अनुर्षण प्रभार” शब्दों के स्थान पर, “हटाने के प्रभार” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां मोटर यान ने अनवेक्षित खराबी हो गई है और हटाए जाने की प्रक्रिया में है ।

(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “हटाए जाने के प्रभारों” के अंतर्गत “अनुकर्षण के माध्यम सहित और ऐसे मोटर यान के भंडारण से संबद्ध किन्हीं लागतों सहित भी एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति तक एक मोटर यान के हटाए जाने में अंतर्वर्तित कोई लागत सम्मिलित होगी ।” ।

88. मूल अधिनियम की धारा 206 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 206 का संशोधन ।

“(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान के चालक ने धारा 183, धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190, धारा 194ग और धारा 194घ, धारा 194ड. में से किसी धारा के अधीन कोई अपराध किया है तो ऐसे चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे धारा 19 के अधीन निर्दरत संबंधी कार्रवाहियों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी का अग्रेषित करेगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति को जब्त करने वाला व्यक्ति उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को देगा किंतु ऐसी अभिस्वीकृति धारक को तब तक चालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञप्ति उसको न लौटा दी गई हो ।”।

89. मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 210क, धारा 210ख, धारा 210ग और धारा 210घ का अंतःस्थापन ।

“210क. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले, एक से अन्याय और दस से अनधिक गुणक को विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और विभिन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के विभिन्न वर्गों को लागू किया जाएगा जो इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाएं ।”।

शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति।

210ख. कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन इस अपराध के तत्समान शास्ति के दुगुना के लिए दायी होगा ।

प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

210ग. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों ;

(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;

(ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

210घ. राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों के लिए और ऐसे किसी अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए, के लिए नियम बना सकेगी ।”।

नई धारा 211क का अंतःस्थापन ।

90. मूल अधिनियम की धारा 211 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दस्तावेजों और
प्ररूपों का
इलैक्ट्रानिक
उपयोग ।

“211क. (1) जहां इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,—

(क) वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कार्यालय, प्राधिकारी निकाय या अधिकरण के पास किसी भी रूप में आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति में फाइल किया जाना ;

(ख) किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन चाहे वह किसी भी नाम से विशिष्ट रीति में ज्ञात हो ; या

(ग) किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या उसका संदाय,

तब ऐसे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसी अपेक्षा को तब पूरा किया गया समझा जाएगा जब यथास्थिति ऐसा फाइल किया जाना, जारी किया जाना, अनुदत्त करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के माध्यम से किया जाता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए,—

(क) ऐसी रीति या रूप विधान, जिसमें ऐसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप या दस्तावेज फाइल किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे या जारी किए जाएंगे ; और

(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के फाइल करने, सृजित करने या जारी करने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति ।” ।

धारा 212 का
संशोधन ।

91. मूल अधिनियम की धारा 212 में,—

(i) उपधारा (4) में,—

(क) “धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “धारा 118” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “धारा 163क की उपधारा (4)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “धारा 177क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) धारा 210क के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र रखी जाएगी जहां यह राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बना है वहां उस सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो तीस दिन की कुल अवधि के लिए, रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व यथास्थिति सदन या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना का तत्पश्चात् यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा या प्रभावहीन हो जाएगी, यथास्थिति ऐसा उपांतरण

या बातलीकरण इस अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।”।

92. मूल अधिनियम की धारा 215 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

215क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

(ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

215ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और उसका गठन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं पर, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, किंतु यह उन तक ही सीमित नहीं होगी,—

(क) मोटर यानों और सुरक्षा उपस्कर के डिजाइन, वजन, संनिर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रचालन और अनुरक्षण के मानक;

(ख) मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन;

(ग) सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना और यातायात के नियंत्रण के लिए मानकों की विरचना;

(घ) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी प्रणाली के सुरक्षित और संधारणीय उपयोग को सुकर बनाना;

(ङ) नई यान प्रौद्योगिकी का संवर्धन;

(च) असुरक्षित सड़क उपयोक्ताओं की सुरक्षा ;

(छ) चालकों और अन्य सड़क उपयोक्ताओं को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम ; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

नई धारा 215क,
धारा 215ख,
धारा 215ग और
धारा 215घ का
अंतःस्थापन।

केन्द्रीय सरकार
और राज्य
सरकार द्वारा
शक्तियों के
प्रत्यायोजित
किए जाने की
शक्ति।

राष्ट्रीय सड़क
सुरक्षा बोर्ड।

केन्द्रीय सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति ।

215ग. (1) केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन और धन की प्राप्ति का संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ;

(ख) न्यूनतम अर्हताएं जिन्हें मोटर यान विभाग के अधिकारी या उनका कोई वर्ग धारा 213 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट उस रूप में नियुक्ति के लिए रखने की अपेक्षा करेंगे ; और

(ग) धारा 215ख की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(घ) धारा 215ख की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अन्य कृत्य ;

(ङ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

215घ. (1) राज्य सरकार धारा 215ख में, विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, इस अध्याय में उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन और धन की प्राप्ति का संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ;

(ख) मोटर यान विभाग के अधिकारियों के कर्तव्यों और कृत्य और उनका निवर्हन, ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां (इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां भी हैं) और ऐसी शक्तियों के प्रयोग को शासित करने वाली शर्तें, उनके द्वारा पहने जाने वाली वर्दी, धारा 213 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट वे प्राधिकारी, जिनके प्रति वे अधीनस्थ ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो धारा 213 की उपधारा (5) में खंड (च) में यथा विनिर्दिष्ट मोटर यान विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ।

(घ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना है ।” ।

93. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची
का लोप ।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम), मोटर यानों से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम को उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.के. कन्हिमोहम्मद बनाम पी.ए. अहमदकुट्टी, (1987) 4एससीसी 284 में किए गए सुझावों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. अधिनियम को सड़क परिवहन, यात्री और दुलाई संचलन तथा मोटर यान प्रबंधन में होने वाले प्रौद्योगिकीय उन्नयन को अंगीकार करने के लिए अनेक बार संशोधित किया गया था। तेजी से बढ़ते हुए मोटरीकरण के साथ, भारत सड़क यातायात क्षतियों और अपमृत्यु के बढ़ते हुए भार का सामना कर रहा है। कुटुंब, जो अपने जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोता है, को कारित भावनात्मक और सामाजिक संघात को मापा नहीं जा सकता है। भारत ब्राजीलिया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है और वह वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं से अपमृत्यु को पचास प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क परिवहन क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था में भी मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है।

3. सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि, चालन अनुज्ञप्तियों को जारी करने में विलंब, ट्रैफिक नियमों और विनियमों, आदि की अवहेलना के कारणों को प्रोद्धरित करते हुए मंत्रालय में विभिन्न पणधारियों से शिकायतों और सुझावों के रूप में अनेक अभ्यावेदन और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इसलिए, सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में तुरंत कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता के मुद्दों का समाधान किया जा सके।

4. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 सड़क सुरक्षा, नागरिक सुकरीकरण, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ करने, स्वचालन और कंप्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए है।

5. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :—

(क) ऑनलाइन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने को सुकर बनाने के लिए ;

(ख) दुर्घटना पीड़ितों और उनके कुटुंबों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरल उपबंधों के साथ बीमा के विद्यमान उपबंधों को प्रतिस्थापित करने के लिए ;

(ग) चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए समय-सीमा को समाप्ति की तारीख से पूर्व और उसके पश्चात् एक मास से बढ़ाकर एक वर्ष करने के लिए ;

(घ) परिवहन अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने के लिए ;

(ङ) अनुज्ञापन प्राधिकारी को भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को भी अनुज्ञप्ति

प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने के लिए ;

(च) राज्यों को सार्वजनिक परिवहन, ग्रामीण परिवहन और अंतिम स्थान को सम्पर्क का संवर्धन करने के लिए परमिटों से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को शिथिल करके समर्थ बनाने के लिए ;

(छ) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने और शास्तियों में वृद्धि करने के लिए ; और

(ज) सड़क के नेक उपयोगकर्ताओं के संरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 जुलाई, 2019

नितिन गडकरी

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—"मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019" के रूप में विधेयक के संक्षिप्त नाम का उपबंध करता है और ऐसी तारीख, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए अधिसूचित की जाए और विभिन्न तारीखें, जो विधेयक के विभिन्न उपबंधों के लिए नियत की जाएं, से विधेयक के उपबंधों के प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है।

खंड 2—अधिनियम में प्रयुक्त कतिपय पदों, जैसे 'मध्यवर्ती यात्री मोटर यान', 'मोटरकार' और 'भार', की परिभाषाओं से संबंधित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 2 का संशोधन करने के लिए और धारा 2 में कुछ नई परिभाषाएं, 'रूपांतरित यान', 'समूहक', 'समुदाय सेवा', 'चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम', 'स्वर्णिम घंटा', 'स्कीम' और 'परीक्षण अभिकरण' अंतःस्थापित करने के लिए है।

खंड 3—अधिनियम के उपबंधों से नई प्रौद्योगिकियों, आविष्कारों या नवपरिवर्तनों को छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार के नम्यता का उपबंध करने हेतु अधिनियम में एक नई धारा 2ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यानीय इंजीनियरी, यंत्र नोदित और साधारण परिवहन के क्षेत्र में नवपरिवर्तन अनुसंधान और विकास का संवर्धन किया जा सके।

खंड 4—अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, जिससे कि राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन, फीस और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के आनलाइन साधनों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए है और शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए पात्रता अवधारित करने में नम्यता अनुज्ञात करने के लिए है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने का उपबंध करने के लिए भी है। यह केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति में आवेदक की पहचान को सत्यापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समर्थ बनाता है।

खंड 5—अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जिससे चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, जिससे कि राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने में समर्थ बनाने, जब तक आवेदक चालक प्रशिक्षण स्कूल या स्थापन से प्रमाणपत्र धारण करता है तब तक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को हटाने के लिए है। खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि ऐसे आवेदक को, जो बार-बार सक्षमता के परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है, ऐसे आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व, उपचारात्मक चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगा। यह केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति में आवेदक की पहचान को सत्यापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समर्थ बनाता है।

खंड 6—अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जिससे 'अशक्त यात्री गाड़ी' पद के स्थान पर, 'रूपांतरित यान' पद रखा जाएगा।

खंड 7—अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जिससे अनुज्ञप्तिधारक को उसके या उसकी चालन अनुज्ञप्ति के लिए मोटरयानों के अन्य वर्गों या वर्णनों के परिवर्धन के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। यह केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति में आवेदक की पहचान को सत्यापित करने के लिए

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समर्थ बनाता है ।

खंड 8—अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जिससे उन आवेदकों को, जिन्होंने ऐसा विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अन्य अपेक्षाओं, जैसे परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से पूर्व कम से कम एक वर्ष तक हल्के मोटर यान के साथ चालन करता है, को पूरा करने की अपेक्षा किए बिना चालन के लिए प्रत्यायित स्कूलों या स्थापनों से केंद्रीय सरकार द्वारा अभिकल्पित किया गया है, अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 9—अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है जिससे चालन अनुज्ञप्ति विधिमान्य रहने की समयावधि को बढ़ाया जा सके ।

खंड 10—अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है जिससे अनुज्ञप्तिधारक को, अनुज्ञप्ति समाप्ति से पूर्व एक वर्ष और उसके पश्चात् एक वर्ष की सीमा में किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने हेतु अनुज्ञात किया जा सके । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई आवेदक, जो उसकी समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष से अधिक अपनी चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने का प्रयास करता है, सक्षमता प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा ।

खंड 11—अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है जिससे इस धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय अपराध करते पाए जाने वाले चालकों की चालन अनुज्ञप्ति को धारण करने से निरहता, चालन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध किया जा सके । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारकों से केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

खंड 12—अधिनियम में एक नई धारा 25क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर की स्थापना की जा सके जिसमें संपूर्ण भारत में जारी की गई सभी चालन अनुज्ञप्तियों संबंधी आंकड़े अंतर्विष्ट हों और पारदर्शी तथा दक्ष रीति में अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना सुकर बनाया जा सके । खंड केंद्रीय सरकार के चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट सभी सूचनाओं का पारेषित करने के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली रीति में राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लिए भी है । खंड सभी राज्य रजिस्ट्रों को केंद्रीय अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक राष्ट्रीय रजिस्टर में सम्मिलित करने के लिए भी है ।

खंड 13—अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है जिससे चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर की प्रति के साथ केंद्रीय सरकार को प्रदाय करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अपेक्षा का लोप किया जा सके ।

खंड 14—अधिनियम के अध्याय 2 में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 15—अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 28 की उपधारा (ज) का लोप किया जा सके । उक्त संशोधन प्रकृति के पारिणामिक है ।

खंड 16—अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्वामी को राज्य में किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करके अपने मोटरयान को रजिस्टर कराने के लिए

अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 17—अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है जिससे व्यौहारी द्वारा नए मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध किया जा सके । खंड यह उपबंध करने के लिए भी है कि नए मोटर यान रजिस्ट्रीकरण चिह्न के चिपकाए जाने के पश्चात् ही ग्राहकों को परिदत्त किए जाएंगे ।

खंड 18—अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी किए जाने के लिए नियम बनाने हेतु समर्थ बनाया जा सके और खंड रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, किए जाने वाले अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 19—अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष मोटर यान के प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा को हटाया जा सके ।

खंड 20—अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जिससे आन--लाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर निवास के परिवर्तन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके । खंड समयबद्ध रीति में नई जानकारी उपलब्ध कराने में असफलता के लिए शास्ति में अभिवृद्धि करने के लिए भी है ।

खंड 21—अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्वामियों को अपने मोटर यान के उपस्करों में परिवर्तन या पुनः संयोजन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके और यह उपबंध करता है कि विनिर्माता द्वारा प्रदान की गई गारंटी तब तक शून्य घोषित नहीं की जाएगी जब तक ऐसा परिवर्तन या पुनः संयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया जाता है । खंड केंद्रीय सरकार को मोटर यानों पर पुनः संयोजन सुरक्षा उपस्कर के लिए विनिर्माता से अपेक्षा करने के लिए भी सशक्त बनाता है । खंड मोटर यान को निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए रूपांतरित यान में संपरिवर्तन को समर्थ बनाने के लिए भी है ।

खंड 22—अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है जिससे उस मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए उपबंध किया जा सके, जिसका प्रयोग मूल अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किशोर द्वारा किया गया है ।

खंड 23—अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जिससे मोटर यानों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए प्राधिकृत परीक्षण केंद्रों पर स्वचालित परीक्षण सुविधाओं के लिए उपबंध किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उपयुक्तता प्रमाणपत्र ऐसी तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के पश्चात् तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक मोटर यान का परीक्षण ऐसे स्वचालित परीक्षण सुविधाओं में न कर दिया गया हो । खंड केंद्रीय सरकार को उपयुक्तता प्रमाणपत्र वहन करने के लिए परिवहन यानों के अतिरिक्त अन्य मोटर यानों को निर्देश देने के लिए भी सशक्त करता है । खंड यह उपबंध करने के लिए भी है कि विधिमान्य उपयुक्तता प्रमाणपत्रों वाले परिवहन यानों में उनकी बाडी पर स्पष्ट दृश्यमान सुभिन्न चिह्न लगे होंगे ।

खंड 24—अधिनियम की धारा 59 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को

मोटर यानों और उनकी अवधि के अंत में मोटर यान पुर्जों के पुनःचक्रण के लिए नियम बनाने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 25—अधिनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 62क और धारा 62ख अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 62क आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे यानों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने को प्रतिषिद्ध करने के लिए है । धारा 62ख मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर स्थापित करने के लिए है जिसमें संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी मोटर यानों के आंकड़े रखे जाएंगे । खंड यह भी उपबंध करता है कि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक जारी या नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसे राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी न कर दी गई हो । यह राज्य सरकारों को, मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट सभी सूचना और डाटा को राष्ट्रीय रजिस्टर में पारेषित करने और राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे नियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अद्यतन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए भी है ।

खंड 26—अधिनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसा प्ररूप विहित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके, जिसमें राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को मोटर यानों के राज्य रजिस्टर के अद्यतन ब्यौरे भेजेगी ।

खंड 27—अधिनियम के अध्याय 4 में प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 28—अधिनियम की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि राज्य सरकार की शक्तियों को स्पष्ट किया जा सके ।

खंड 29—अधिनियम की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है जिससे परमिट अर्जन करने से अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन किए गए माल और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के साथ प्रचालन करने वाले परिवहन यानों को छूट दी जा सके । खंड ऐसे परिवहन यान को भी अनुज्ञात करता है, जिसे परिवहन यान के स्वामी के विवेकानुसार या तो कोई परमिट या कोई अनुज्ञप्ति जारी की जा सके या ऐसे परमिट या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन उसका उपयोग किया जा सके ।

खंड 30—अधिनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 66क और धारा 66ख अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 66क केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय परिवहन नीति को विकसित करने और कार्यान्वित करने को सशक्त बनाने के लिए है । धारा 66ख यह उपबंध करने के लिए है कि परमिट धारक अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन किए गए माल और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से न तो निरहित होंगे और न ही ऐसे परमिट धारक से ऐसी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर परमिट लौटाने की अपेक्षा की जाएगी ।

खंड 31—अधिनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे राज्य सरकार को यात्रियों की सुविधा की सुरक्षा करने, भीड़भाड़ को कम करने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से सस्ते प्रतिस्पर्धात्मक किरायों का उपबंध करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके । यह खंड अध्याय 5 के अधीन किए गए किसी उपबंध को शिथिल करने, परमिटों को उपांतरित करने और अंतिम स्थान को संपर्क को बढ़ाने के लिए माल और यात्रियों के परिवहन

के लिए, ग्रामीण परिवहन, ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने, सड़क के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का संवर्धन करने, परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग, क्षेत्र की आर्थिक ओजस्विता का वर्धन, लोगों की पहुंच और सचलता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन, जीवन की क्वालिटी में सुधार, अन्य प्रयोजनों में बहुमॉडल एकीकरण के वर्धन के लिए स्कीम बनाने के लिए राज्य सरकार को भी सशक्त करता है ।

खंड 32—अधिनियम की धारा 72 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में स्टेज कैरिज चलाने के लिए किसी परमिट शर्त का अधित्यजन करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 33—अंतिम स्थान संपर्क समाधानों का संवर्धन करने के लिए कंटैक्ट कैरिज के लिए किसी परमिट की शर्त का अधित्यजन करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को सशक्त करने हेतु अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए है । खंड परमिटों के जारी करने में अधिमानों के माध्यम से स्वावलंबन योग्य समूहों के सशक्तीकरण को सुकर बनाने के लिए भी है ।

खंड 34—अधिनियम में एक नई धारा 88क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को परमिटों को उपांतरित करने और माल या यात्रियों के अंतर्राज्य परिवहन के लिए स्कीमें बनाने हेतु सशक्त किया जा सके ।

खंड 35—अधिनियम की धारा 92 का संशोधन करने के लिए है जिससे अध्याय 5, जो ऐसे परिवहन यान के उपयोग से उद्भूत होने वाले ऐसे यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति के लिए दायित्व के प्रवर्तन के संबंध में अधिरोपित शर्त पर नकाराने या दायित्व को प्रतिबंधित के लिए है, के अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिवहन यान में यात्री के परिवहन हेतु किसी संविदा को शून्य किया जा सके ।

खंड 36—परिवहन समूहक को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 93 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 37—अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने से संबंधित कोई प्रश्न ग्रहण करने या व्यादेश जारी करने के लिए सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को बेदखल किया जा सके ।

खंड 38— अधिनियम के अध्याय 5 में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 96 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 39—मोटर यानों के सन्निर्माण, उपस्कर और रखरखाव के मानकों के प्रवर्तन के लिए अधिनियम की धारा 110 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 40—अधिनियम में नए उपबंधों अर्थात् धारा 110क और धारा 110ख के अंतःस्थापन के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को ऐसे यानों को वापस बुलाने के लिए सशक्त करती है, जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं और साथ ही वह इस निमित्त नियम बनाने के लिए भी सशक्त करती है । धारा 110ख किस्म--अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किए जाने और मोटर यानों के परीक्षण के लिए परीक्षण अभिकरणों को स्थापित अनुवृद्धि, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए तथा केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियम बनाए जाने के लिए उपबंध करने के

लिए है ।

खंड 41—अधिनियम की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जिससे राज्य सरकारों को इस धारा के उपबंधों को प्रवर्तन अभिकरण के रूप में किसी व्यक्ति को पदाभिहित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 42—अधिनियम की धारा 116 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्ग के लिए संनिर्माण यातायात संकेतों को या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को समर्थ बनाने के उद्देश्य और इस प्रयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राज्य सरकार के प्राधिकरणों से सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण को समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 43—अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण को, जो पार्किंग स्थानों और विराम स्टेशनों का भी अवधारण करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 44—अधिनियम की धारा 129 को प्रतिस्थापित करने के लिए है । नई धारा 129 चार वर्ष से कम आयु के बालकों को इस उपबंध की परिधि से छूट प्रदान करती है और केंद्रीय सरकार को चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त उपायों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

खंड 45—नेक व्यक्तियों की संरक्षा के लिए अधिनियम में नई धारा 134क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 46—अधिनियम की धारा 135 का संशोधन करने के लिए है जिससे राज्य सरकारों को ऐसी किन्हीं सुविधाओं के लिए, जिन्हें वे जनता के हित में उचित समझती हैं, स्कीमें बनाने के लिए सशक्त करती है । यह केंद्रीय सरकार को भी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का गहन अध्ययन और विश्लेषण के लिए स्कीमें बनाने हेतु सशक्त करती हैं ।

खंड 47—अधिनियम में नई धारा 136क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन को अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 48—अधिनियम के अध्याय 8 में प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 137 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 49—अधिनियम की धारा 138 का संशोधन करने के लिए है जिससे राज्यों को पैदल चलने वाले व्यक्तियों और गैर-मोटरिकृत यानों का विनियमित करने के लिए सशक्त करने के उद्देश्य से और चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से विरचित किया जा सके ।

खंड 50—अधिनियम के अध्याय 10 का लोप करने के लिए है क्योंकि बिना कसूर दायित्व से संबंधित उपबंधों को अधिनियम के नए अध्याय 11 की धारा 164 के अधीन उपबंधित किया गया है ।

खंड 51—मूल अधिनियम के अध्याय 11 के स्थान पर एक नया अध्याय 11 रखने के लिए है । इस अध्याय का उद्देश्य मोटर यानों के लिए पर-पक्षकार बीमा को सरल बनाना है । यह केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी पालिसी के लिए प्रीमियम और बीमाकर्ता के तत्स्थानी दायित्व को विहित करने के लिए सशक्त करता है । यह बिना कसूर दायित्व के आधार पर

प्रतिकर, स्वर्णिम समय के दौरान दुर्घटना पीड़ितों के लिए उपचार हेतु स्कीम के लिए उपबंध करता है और साथ ही दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि में मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए और घोर उपहति की दशा में अढ़ाई लाख रुपए की सीमा तक वृद्धि के लिए उपबंध करता है। यह अध्याय दावाकर्ताओं को दिए जाने वाले अंतरिम अनुतोष के लिए स्कीम हेतु भी उपबंध करता है।

खंड 52—अधिनियम के अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 165 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 53—अधिनियम की धारा 166 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावाकर्ता की मृत्यु पर प्रतिकर के किसी दावे का उपशमन नहीं होगा और वह उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा जारी रखा जा सकेगा और चूंकि दुर्घटना की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन किया जाए।

खंड 54—अधिनियम के अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 55—अधिनियम की धारा 169 का संशोधन करने के लिए है जिससे दावा अधिकरणों को, उसके द्वारा पारित किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जा सकें।

खंड 56—अधिनियम के अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 170 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 57—अधिनियम की धारा 173 का संशोधन करने के लिए है जिससे दावा अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाने वाली किसी अपील के लिए अपेक्षित विवादित रकम में वृद्धि की जा सके।

खंड 58—अधिनियम की धारा 177 का संशोधन करने के लिए है जिससे साधारण शास्तियों में वृद्धि की जा सके।

खंड 59—अधिनियम में नई धारा 177क को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सड़क विनियमों और अधिनियम की धारा 118 के अधीन बनाए गए अन्य विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों हेतु उपबंध किया जा सके।

खंड 60—अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (3) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जो बिना पास या टिकट आदि के यात्रा करने हेतु शास्तियों में वृद्धि के संबंध में है, जिसे इसमें इस प्रकार की आस्ति को दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए की जा सके।

खंड 61—अधिनियम की धारा 179 का संशोधन करने के लिए है जिससे आदेशों की अवज्ञा, उसमें बाधा डालने आदि के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके।

खंड 62—अधिनियम की धारा 180 का संशोधन करने के लिए है जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों को यानों का चालन करने के लिए अनुज्ञा देने के लिए शास्ति में वृद्धि की जा सके।

खंड 63—अधिनियम की धारा 181 का संशोधन करने के लिए है। यह अधिनियम की

धारा 3 और 4 के उल्लंघन में यानों का चालन करने के लिए शास्ति में वृद्धि करता है ।

खंड 64—अधिनियम की धारा 182 का संशोधन करने के लिए है जिससे अनुज्ञप्तियों से संबंधित अपराधों के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 65—अधिनियम की धारा 182क का संशोधन करने के लिए है जिससे मोटर यान के विनिर्माताओं, आयातकर्ताओं, व्यौहारियों और स्वामियों द्वारा अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके । यह खंड अधिनियम में एक नई धारा 182ख को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे बड़े आकार वाले यानों के रजिस्ट्रीकरण और उन्हें उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए धारा 62क के उल्लंघन के लिए शास्ति का पता लगाया जा सके ।

खंड 66—अधिनियम की धारा 183 का संशोधन करने के लिए है जिससे अत्यधिक गति से यान चलाने के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके और मोटर यानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न शास्तियों का उपबंध किया जा सके ।

खंड 67—अधिनियम की धारा 184 का संशोधन करने के लिए है जिससे खतरनाक ढंग से यान चलाने के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके । यह खंड एक स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे ऐसे करणों के उदाहरण दिए गए हैं, जिनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे जनता के लिए खतरनाक ढंग से यान का चलाया जाना है ।

खंड 68—अधिनियम की धारा 185 का संशोधन करने के लिए है जिससे अल्कोहल या मादक द्रव्य के प्रभाव में चालन करने के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 69—अधिनियम की धारा 186 का संशोधन करने के लिए है जिससे उस समय यान का चालन करने के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके, जब मानसिक या शारीरिक रूप से चालन करने के लिए उपयुक्त न हों ।

खंड 70—अधिनियम की धारा 187 का संशोधन करने के लिए है जिससे दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 71—अधिनियम की धारा 189 का संशोधन करने के लिए है जिससे यानों की दौड़ लगाने और गति की परीक्षा के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 72—अधिनियम की धारा 190 का संशोधन करने के लिए है जिससे असुरक्षित परिस्थितियों में यान का उपयोग करने के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 73—अधिनियम की धारा 191 का लोप करने के लिए है, जो अधिनियम के उल्लंघन में यान का विक्रय करने या यान की स्थिति में परिवर्तन करने से संबंधित है ।

खंड 74—अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपयुक्तता प्रमाणपत्र से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान के उपयोग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे यान का उपयोग है, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है और वह उसी रीति में दंडनीय होगा ।

खंड 75—अधिनियम की धारा 192क का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा 66 के उल्लंघन में किसी मोटर यान के उपयोग के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके ।

खंड 76—अधिनियम में नई धारा 192ख का अंतःस्थापन करने के लिए है जो,

यथास्थिति, किसी स्वामी या व्यौहारी पर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहने और तथ्यों या दस्तावेजों के मिथ्या व्यपदेशन के लिए शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करती है ।

खंड 77—अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है जिससे अभिकर्ताओं और पक्ष प्रचारकों के लिए शास्तियों में वृद्धि की जा सके और धारा 93 के उपबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए समूह को हेतु शास्तियों का उपबंध किया जा सके ।

खंड 78—अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है ताकि अनुज्ञेय भार से अधिक के यानों को चलाने के लिए शास्तियों को बढ़ाया जा सके । यह ये भी उपबंध करने के लिए है कि किसी मोटर यान को अधिक भार को हटाए जाने से पूर्व चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

खंड 79—अधिनियम में नई धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ और धारा 194च अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 194क रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्राधिकृत यात्रियों से अधिक के वहन के लिए शास्ति अधिरोपित करती है । धारा 194ख सुरक्षा बेल्ट को न पहनने वाले व्यक्तियों पर और बालकों को सुरक्षित रीति में न बढ़ाने पर शास्ति अधिरोपित करती है । धारा 194ग किसी मोटर साइकिल पर चालक सहित दो से अधिक व्यक्तियों के वहन पर शास्ति अधिरोपित करती है । खंड 194घ मोटर साइकिल चलाते समय या उसकी सवारी करते समय सिर का सुरक्षा पहनावा नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर शास्ति अधिरोपित करती है । धारा 194ङ किसी आपात स्थिति यान को रास्ता प्रदान करने के लिए सड़क के एक तरफ होने में असफलता के लिए शास्ति अधिरोपित करती है । धारा 194च किसी मोटर यान को चलाते समय अनावश्यक रूप से या सन्नाटा क्षेत्रों में हार्न बजाने के लिए शास्ति अधिरोपित करती है ।

खंड 80—किसी अपराधी द्वारा जुर्माना अधिरोपित करने में विवेकाधिकार का उन्मूलन करने के लिए अधिनियम की धारा 195 का लोप करने के लिए है ।

खंड 81—किसी ऐसे मोटर यान को, जिसका बीमा नहीं है, चलाने के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 196 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 82—बिना प्राधिकार के किसी मोटर यान को लेने के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 83—किसी मोटर यान के साथ अप्राधिकृत छेड़छाड़ करने के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 198 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 84—अधिनियम में एक नई धारा 198क का भी अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे कि सड़क की डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के लिए मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ रहने के लिए शास्तियां विहित करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके ।

खंड 85—नया उपबंध अर्थात् धारा 199क और धारा 199ख के अंतःस्थापन के लिए है जिससे कि किसी किशोर या किशोर के दायित्व द्वारा की गई सुपुर्दगी को इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध के लिए, यथास्थिति, यान के अभिरक्षक या स्वामी के दायित्व के लिए उपबंध किया जा सके । धारा 199ख जुर्माने के पुनर्विलोकन का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की गई है ।

खंड 86—अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है ताकि अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों का शमन किया जा सके ।

खंड 87—यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा कारित करने के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 88—अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है ताकि पुलिस अधिकारियों को कतिपय अपराधों, जैसे खतरनाक तरीके से चलाना आदि (धारा 184) के अभियुक्त व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति को परिरुद्ध करने के लिए और उसे अधिनियम की धारा 19 के अधीन निरर्हता कार्यवाहियों के लिए अग्रेषित करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 89—अधिनियम में नई धारा 210क, धारा 210ख, धारा 210ग और धारा 210घ अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 210क राज्य सरकारों को विभिन्न जुर्मानों को विभिन्न बहुगुणक लागू करने के लिए सशक्त करती है और ऐसे बहुगुणक मोटर यानों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न हो सकेंगे । धारा 210ख अधिनियम में अन्यथा उपबंधित जुर्माने के दुगने को अधिरोपित करने के लिए है जहां कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे अधिनियम को प्रवृत्त करना सौंपा गया है । धारा 210ग केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करती है । धारा 210घ राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करती है ।

खंड 90—अधिनियम में नई धारा 211क अंतःस्थापित करने के लिए है ताकि इस अधिनियम के अधीन सभी दस्तावेजों, प्ररूपों और आवेदनों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा विहित किए जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में, जो लागू हो, भरा जा सके ।

खंड 91—अधिनियम की धारा 212 का धारा 210क के अधीन की जाने वाली अधिसूचनाओं को विधायी अनुमोदन के लिए राज्य विधान मंडल के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 92—अधिनियम में नई धारा 215क, धारा 215ख, धारा 215ग और धारा 215घ अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 215क केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को किसी शक्ति या कृत्य को किसी व्यक्ति या समूह को प्रत्यायोजित करने और ऐसे व्यक्ति या समूह को अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति, कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाती है । धारा 215ख इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को अनुदत्त नियम बनाने की शक्तियों को प्रगणित करती है । धारा 215ग, अध्याय 14 के अधीन केंद्रीय सरकार को अनुदत्त नियम बनाने की शक्तियों को प्रगणित करती है । धारा 215घ, अध्याय 14 के अधीन राज्य सरकार को अनुदत्त नियम बनाने की शक्तियों को प्रगणित करती है ।

खंड 93—अधिनियम की दूसरी अनुसूची का लोप करने के लिए है जो तीसरे पक्षकार घातक दुर्घटनाओं या क्षति के मामलों के दावों से संबंधित है ।

वित्तीय जापन

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 का खंड 51 अधिनियम में नई धारा 164(ख) अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आपातकालीन चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सभी सड़क उपयोक्ताओं के अनिवार्य बीमा से संबंधित मोटर यान दुर्घटना निधि को स्थापित करने हेतु उपबंध करती है। इस निधि का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों और उनके कुटुंबों को प्रतिकर उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए भी किया जा सकेगा।

2. इस निधि से होने वाले व्यय की पूर्ति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन बजट संबंधी उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि और अन्य स्रोतों से, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, की जा सकेगी।

3. अपेक्षित निधियों की मात्रा, मोटर यान दुर्घटना निधि के माध्यम से किए जाने वाले क्रियाकलापों और उसकी ब्यौरेवार संरचना पर निर्भर करेगी और प्रतिकर की सीमाएं वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। अतः, वित्तीय विवक्षाओं की मात्रा को अभी तय नहीं किया जा सकता।

4. विधेयक में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक का खंड 14 अधिनियम की धारा 27 को संशोधित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। वे विषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) वह प्ररूप और रीति, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन निर्गम है, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा ; (ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी रीति में, जिसमें आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सके ; (ग) विद्यालय और स्थापन के प्रशिक्षण, मानदंड और विनियम का पाठ्यक्रम ; (घ) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन के लिए यातायात यानों को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें ; (ङ) चालन पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति और पाठ्यचर्या ; और (च) चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर शामिल है।

विधेयक का खंड 27 अधिनियम की धारा 64 को संशोधित करने के लिए है, ताकि केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 39 अधिनियम की धारा 110 को संशोधित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। वे विषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) संघटकों के मानक, जिसके अंतर्गत साफ़वेयर संघटक ; और (ख) धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों की अननुपालना की जांच शामिल हैं।

विधेयक का खंड 40 अधिनियम में नई धारा 110क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन केंद्रीय सरकार की राय में, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने या ऐसे मोटर यान के चालक या अधिभोगी या अन्य सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचाने, जो किसी खराबी के लिए मोटर यान को वापस मंगाने को विनियमित करने के लिए, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 45 अधिनियम में नई धारा 134क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन नेक व्यक्तियों के संरक्षण के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 48 अधिनियम की धारा 137 को संशोधित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 51 में नई धारा 164ग का अंतःस्थापन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को पर पक्षकार के विरुद्ध मोटर यानों के बीमें से संबंधित अधिनियम के प्रतिस्थापित अध्याय 11 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव करने के लिए है। यह एक नई धारा 164घ का अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जो केंद्रीय सरकार को धारा 164ग के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य उन मामलों के लिए अधिनियम के प्रस्तावित

अध्याय 11 के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 89 में नई धारा 210ग को अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मानक डिजाइन निर्माण और अनुरक्षण के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह एक नई धारा 210घ को अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जो राज्य सरकार को, राष्ट्रीय राजमार्ग से परे अन्य सड़कों के लिए मानक डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 92 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है और बनाए गए नियमों के संबंध में प्रस्तावित क्रमशः नई धाराएं 215ग और धारा 215घ में प्रगणित करता है ।

2. वह विषय, जिनकी बाबत नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में “क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

* * * * *

(18) “अशक्त यात्री गाड़ी” से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो किसी शारीरिक खराबी या निःशक्तता पीड़ित किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से परिकल्पित तथा निर्मित है, केवल अनुकूलित नहीं है, और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए ही किया जाता है ;

* * * * *

(24) “मध्यम यात्री मोटर यान” से ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस अभिप्रेत है जो मोटर साइकिल, अशक्त यात्री गाड़ी, हल्का मोटर यान या भारी यात्री मोटर यान से भिन्न है ;

* * * * *

(26) “मोटर कार” से परिवहन यान, बस, रोड-रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल या अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न कोई मोटर यान अभिप्रेत है ;

(49) “भार” से यान के पहियों द्वारा उस भू-तल पर, जिस पर वह यान टिका हुआ है उस समय संचारित किया जाने वाला कुल भार अभिप्रेत है ।

* * * * *

8. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन मोटर यान चलाने के लिए निरहित नहीं है और जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित नहीं है, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।

(i) जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है ; या

(ii) जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह विद्यालय या स्थापन स्थित है जहां वह मोटर यान चलाना सीखना चाहता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे तथा ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में संलग्न होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और उस पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा

इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे :

परन्तु किसी परिवहन यान से भिन्न किसी यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए ऐसा चिकित्सा-प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है ।

(4) यदि आवेदन से या उपधारा (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा-प्रमाणपत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसे रोग या ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर यान का चलाया जाना जिसे चलाने के लिए वह उस शिक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, प्राधिकृत हो जाएगा, जनता या यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर देगा :

परन्तु यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक अशक्त यात्री गाड़ी चलाने के लिए ठीक हालत में है तो आवेदक को अशक्त यात्री गाड़ी चलाने तक सीमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी ।

(5) किसी भी आवेदक को कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तक तक नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

* * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति
का दिया जाना ।

9. (1) कोई व्यक्ति, जो उस समय चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित नहीं है, उसको चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

* * * * *

(3) यदि आवेदक ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए तो उसे चालन अनुज्ञप्ति दी जाएगी :

परन्तु ऐसा परीक्षण वहां आवश्यक नहीं होगा जहां आवेदक यह दर्शित करने के लिए सबूत प्रस्तुत कर देता है कि—

(क) (i) आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लिए पहले भी अनुज्ञप्ति थी और उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तथा ऐसे आवेदन की तारीख के बीच की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं है, या

(ii) आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लिए धारा 18 के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति है या पहले भी थी, या

(iii) आवेदक के पास भारत के बाहर किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लिए इस शर्त के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति है कि आवेदक धारा 8 की उपधारा (3) के उपबंधों का पालन करता है,

(ख) आवेदक ऐसी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं है जिससे उसके द्वारा यान का चलाया जाना जनता के लिए खतरनाक हो सकता है ; और अनुज्ञापन प्राधिकारी उस प्रयोजन के लिए आवेदक से उसी प्ररूप और उसी रीति से, जो धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, एक चिकित्सा-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां आवेदन मोटर यान को (जो परिवहन यान नहीं है) चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के लिए है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को इस उपधारा के अधीन विहित यान को चलाने के लिए सक्षमता परीक्षण से छूट दे सकेगा, यदि आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया चालन प्रमाणपत्र है ।

(4) जहां आवेदन किसी परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए है, वहां किसी आवेदक को तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और धारा 12 में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या स्थापन द्वारा दिया गया कोई चालन-प्रमाणपत्र न हो ।

(5) जहां आवेदक परीक्षण उत्तीर्ण नहीं करता है वहां उस सात दिन की अवधि के पश्चात् परीक्षण पुनः देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परन्तु जहां आवेदक तीन बार परीक्षण देने के पश्चात् भी उस उत्तीर्ण नहीं करता है तो वह ऐसे अंतिम परीक्षण की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा परीक्षण पुनः देने के लिए अर्हित नहीं होगा ।

* * * * *

10. (1) * * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु ।

(2) यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात् :—

* * * * *

(ग) अशक्त यात्री गाड़ी ;

* * * * *

11. (1) किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति को धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरर्हित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन ।

* * * * *

14. (1) * * * * *

(2) इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन-अनुज्ञप्ति,—

(क) परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी :

परन्तु खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को ले जाने वाले परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, वह एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी और उसका नवीकरण इस शर्त के अधीन होगा कि चालक विहित पाठ्य विवरण का

मोटर यानों का चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना ।

एक दिन का पुनश्चर्या पाठ पूरा करेगा ; और

(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में,—

(i) यदि उस व्यक्ति ने, जिसने या तो मूल रूप से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है या उसका नवीकरण कराया है, यथास्थिति, उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो—

(अ) अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण की तारीख से बीस वर्ष की अवधि तक, या

(आ) उस तारीख तक, जिसको ऐसा व्यक्ति पचास वर्ष की आयु प्राप्त करता है,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी रहेगी ।

(ii) यदि उपखंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति के दिए जाने या उसका नवीकरण किए जाने की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसी अनुज्ञप्ति उसके दिए जाने या उसका नवीकरण किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी :

परन्तु प्रत्येक चालन-अनुज्ञप्ति, इस उपधारा के अधीन उसके समाप्त हो जाने पर भी, ऐसी समाप्ति से तीस दिन की अवधि तक प्रभावी बनी रहेगी ।

चालन-अनुज्ञप्तियों
का नवीकरण ।

15. (1) कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति की, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो, उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा :

परन्तु ऐसी दशा में, जिसमें कि चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किया गया है, चालन-अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां आवेदन, परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या जहां किसी अन्य दशा में आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वहां उसके साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा और धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते हैं ।

* * * * *

(3) जहां चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् अधिक से अधिक तीस दिन के भीतर किया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस ऐसी होगी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) जहां चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस वह रकम होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट फीस, इस उपधारा के अधीन चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की बाबत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तभी स्वीकार की जा सकेगी जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया था :

परन्तु यह और कि यदि चालन-अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पांच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन-अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा, जब तक कि आवेदक उस प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता ।

* * * * *

19. (1)

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां चालन-अनुज्ञप्ति का धारक, यदि चालन-अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो अपनी चालन-अनुज्ञप्ति उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा जिसने वह आदेश दिया है तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी—

अनुज्ञापन प्राधिकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने से निरहित करने या उसे प्रतिसंहत करने की शक्ति ।

* * * * *

परन्तु जहां चालन-अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को एक से अधिक वर्ग या वर्णन के मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है और उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश उसे किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान चलाने से निरह करता है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन-अनुज्ञप्ति पर निरहता पृष्ठांकित करेगा और उसे धारक को लौटा देगा ।

* * * * *

26. (1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अकुलायन प्राधिकारियों द्वारा दी गई और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों की बाबत एक रजिस्टर रखेगी जो राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर के रूप में ज्ञात होगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रों को रखा जाना ।

(क) चालन-अनुज्ञप्तियों के धारकों के नाम और पते ;

(ख) अनुज्ञप्ति संख्यांक ;

(ग) अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण की तारीख ।

(घ) अनुज्ञप्तियों की समाप्ति की तारीख ;

(ङ) यानों के वर्ग और प्रकार जो चलाए जाने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं ;

और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर की मुद्रित प्रति या ऐसे अन्य प्ररूप में प्रति, जिसकी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे] केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त करेगी और ऐसे रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्तनों और अन्य संशोधनों के बारे में अविलंब केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी ।

(3) राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर ऐसी रीति में रखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा

विहित की जाए ।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

27. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी—

* * * * *

(त) धारा 26 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करना ;

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

28. (1) * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

* * * * *

(ज) वह रीति जिसमें राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर धारा 26 के अधीन रखे जाएंगे ;

* * * * *

रजिस्ट्रीकरण कहां
किया जाना है ।

40. धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है ।

रजिस्ट्रीकरण कैसे
होना है ।

41. (1) * * * *

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

* * * * *

(7) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के बारे में उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा ।

(8) परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

* * * * *

(10) धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा और उस तथ्य की सूचना, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा ।

(11) यदि स्वामी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन आवेदन विहित

कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी से, उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रूपए से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा (13) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु धारा 177 के अधीन कार्रवाई स्वामी के विरुद्ध तब की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहा हो ।

(12) जहां स्वामी ने उपधारा (11) के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहां धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

(13) उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी ।

* * * * *

43. (1) धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, किसी मोटर यान का स्वामी विहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लिए और विहित रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिए जाने के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

अस्थायी
रजिस्ट्रीकरण ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण, अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और नवीकरणीय नहीं होगा :

परन्तु जहां इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान चेसिस है जिसमें कोई बाडी नहीं लगाई गई है और जिसमें बाडी लगाने के लिए या स्वामी के नियंत्रण के बाहर अकल्पित परिस्थितियों में उसे कर्मशाला में एक मास की उक्त अवधि से आगे रखा जाता है वहां ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाए देने पर उस अवधि को इतनी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ाया जा सकेगा जो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे ।

(3) उस दशा में जिसमें मोटर यान अवक्रय करार, पट्टे या आडमान के अधीन धारित है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र देगा जिसमें उस व्यक्ति का, जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है, पूरा नाम और पता सुपाठ्य और प्रमुख रूप में दिया जाएगा ।

44. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर करने के संबंध में या परिवहन यान से भिन्न मोटर यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति से जिसने, यथास्थिति, उस यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस यान को या तो स्वयं उसके समक्ष अथवा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पेश करे जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नियुक्त करे जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना यह समाधान कर सके कि आवेदन में दी हुई विशिष्टियां सही हैं और वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ।

रजिस्ट्रीकरण के
समय यान का
पेश किया जाना ।

* * * * *

निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन ।

49. (1) यदि किसी मोटर यान का स्वामी उस स्थान पर, जिसका पता यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित है, निवास करना छोड़ देता है या अपने कारबार का स्थान बंद कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन के तीस दिन के अंदर अपने पते की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया था या यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को भी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेज देगा जिससे नया पता उसमें प्रविष्ट किया जा सके ।

(2) यदि मोटर यान का स्वामी संबद्ध रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अपने नए पते की सूचना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहते हैं तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में, जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रुपए से अनधिक उतनी रकम का, जो उपधारा (4) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु धारा 177 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है ।

* * * * *

मोटर यान में परिवर्तन ।

52. (1) मोटर यान का कोई स्वामी, यान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियां उन विशिष्टियों से भिन्न हों, जो विनिर्माता द्वारा मूल रूप से विनिर्दिष्ट की गई हों :

परन्तु जहां मोटर यान का स्वामी, भिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्रोत से, जिसके अंतर्गत बैटरी, संपीडित प्राकृतिक गैस, सौर शक्ति, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या कोई अन्य ईंधन या ऊर्जा का कोई स्रोत भी है, प्रचालन को सुकर बनाने के लिए मोटर यान के इंजन या उसके किसी भाग में उपान्तरण, संपरिवर्तन किट लगाकर करता है वहां ऐसा उपान्तरण ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार ऐसे संपरिवर्तन किटों के लिए विनिर्देश, अनुमोदनार्थ शर्तें, पश्चरूपांतरण या अन्य संबंधित विषय विहित कर सकेगी :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में यानों में परिवर्तन के लिए छूट प्रदान कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो कम-से-कम दस परिवहन यानों का स्वामी है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने स्वामित्वाधीन किसी यान में ऐसा परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकेगी जिससे कि वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उसके इंजन को उसी मेक और उसी प्रकार के इंजन से बदल सके ।

(3) जहां किसी मोटर यान में कोई परिवर्तन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना या उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे अनुमोदन के बिना उसका इंजन बदलने के कारण किया गया है वहां यान का स्वामी ऐसा परिवर्तन किए जाने के चौदह दिन के भीतर परिवर्तन की रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह

निवास करता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को विहित फीस के साथ उस प्राधिकारी को भेजेगा जिससे उसमें रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां प्रविष्ट की जा सकें ।

* * * * *

56. (1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है ; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा ; या

(ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा ; या

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधि प्रतिनिधि द्वारा :

परंतु जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट “प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र” से ऐसा यान सर्विस केन्द्र या पब्लिक या प्राइवेट गैरेज अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, ऐसे केन्द्र या गैरेज के प्रचालक के अनुभव, प्रशिक्षण और योग्यता को और उसके परीक्षण उपस्कर तथा परीक्षण कार्मिकों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों या गैरेजों के विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार, विनिर्दिष्ट करे ।

* * * * *

(4) विहित प्राधिकारी ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय रद्द कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि जिस यान के संबंध में वह प्रमाणपत्र है वह अब इस अधिनियम की और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, और ऐसे रद्द किए जाने पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की और यान के बारे में अध्याय 5 के अधीन दिए गए परमिट की बाबत यह समझा जाएगा कि वह तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक ठीक हालत में होने का नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता ।

परन्तु ऐसा रद्दकरण किसी विहित प्राधिकारी द्वारा तभी किया जाएगा जब ऐसा विहित प्राधिकारी ऐसी तकनीकी अर्हता धारित करता है, जो विहित की जाए, या जहां विहित प्राधिकारी ऐसी तकनीकी अर्हता धारित नहीं करता है वहां ऐसी अर्हताएं रखने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया जा सकेगा ।

* * * * *

63. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, राज्य मोटर यान रजिस्टर के रूप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य में के मोटर यानों की बाबत रखेगी जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;

(ख) विनिर्माण का वर्ष ;

परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र ।

राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्ट्रों का रखा जाना ।

(ग) वर्ग और प्रकार ;

(घ) रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और पते ; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यदि वह ऐसी वांछा करे राज्य मोटर यान रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति देगी और केन्द्रीय सरकार को ऐसे रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की जानकारी भी अविलंब देगी ।

* * * * *

65. (1) * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

* * * * *

(च) मोटर यानों का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और चिह्नों का दिया जाना ;

* * * * *

(ण) वह रीति जिसमें राज्य मोटर यान रजिस्टर धारा 63 के अधीन रखा जाएगा ;

* * * * *

67. (1) राज्य सरकार—

(क) मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को होने वाले फायदों ;

(ख) सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की वांछनीयता ;

(ग) सड़क प्रणाली का क्षय होने से रोकने की वांछनीयता ; और

(घ) परमिट धारकों के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की वांछनीयता,

को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, दोनों को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निम्नलिखित की बाबत निदेश दे सकेगी—

(i) मंजिली-गाड़ी, ठेका-गाड़ी तथा माल-वाहन के लिए किराए और माल भाड़े को नियत करना (जिनके अंतर्गत अधिकतम तथा न्यूनतम किराए और माल भाड़े, नियत करना भी है) ;

(ii) ऐसी शर्तों पर, जो ऐसे निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारणतः लंबी दूरी वाले माल-यातायात का अथवा विनिर्दिष्ट वर्गों के मालों का माल वाहनों द्वारा प्रवहन किए जाने का प्रतिषेध या निर्बन्धन ;

(iii) कोई अन्य विषय जिसकी बाबत राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि वह साधारणतः मोटर परिवहन का विनियमन करने और विशिष्टतः उसके परिवहन के अन्य साधनों में समन्वय करने तथा लंबी दूरी वाले माल-यातायात के प्रवहन संबंधी किसी करार को, जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य देश की सरकार से किया गया हो, प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन है :

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति ।

परंतु खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट विषयों की बाबत ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक प्रस्थापित निदेशों का प्रारूप राजपत्र में वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए प्रकाशित नहीं कर दिया जाता जो ऐसे प्रकाशन के कम से कम एक मास पश्चात् की ऐसी तारीख होगी जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जाएगा और जब तक किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो प्राप्त हो, उन व्यक्तियों के, जिनके हित प्रभावित होते हैं, प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकरण के परामर्श से विचार नहीं कर लिया जाता ।

* * * * *

92. मंजिली-गाड़ी या ठेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट दिया गया है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्त अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है ।

दायित्व का निर्बंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण ।

93. कोई भी व्यक्ति—

अभिकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना ।

* * * * *

94. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के संबंध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन ।

* * * * *

110. (1) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

* * * * *

(ट) यान में अन्तःनिर्मित सुरक्षा युक्तियों के रूप में प्रयुक्त संघटकों के मानक ;

* * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन उसमें वर्णित बातों को शासित करने वाले नियम बनाए जा सकेंगे जिनके अन्तर्गत ऐसी बातों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की रीति और ऐसी बातों की बाबत या तो साधारणतया मोटर यानों या ट्रेलरों की बाबत या किसी विशिष्ट वर्ग या विशिष्ट परिस्थितियों में मोटर यानों या ट्रेलरों की बाबत मोटर यानों के अनुरक्षण भी हैं ।

* * * * *

114. (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी

यान तुलवाने की शक्ति ।

अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग धारा 113 का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा करेगा कि वह यान को तुलवान के वास्ते ऐसे किसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिक वजन को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई नहीं कर दी जाती जिससे वह धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ड्राइवर ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

* * * * *

यातायात
लगवाने
शक्ति ।
चिह्न
की

116. (1) (क)

(3) उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई भी यातायात चिह्न किसी सड़क पर या उसके निकट न तो रखा जाएगा और न लगाया जाएगा ; किन्तु उन सभी यातायात चिह्नों की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखवाए या लगवाए गए थे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिह्न हैं ।

* * * * *

सुरक्षात्मक
का पहनना ।
टोप

129. किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानको के अनुरूप हो :

परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सिक्ख है, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साइकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसे अपवादों के लिए, जो वह ठीक समझे, ऐसे नियमों द्वारा, उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—“सुरक्षात्मक टोप” से हेलमेट अभिप्रेत है,—

(क) जिसके बारे में उसकी आकृति, सामग्री और बनावट के आधार पर उचित रूप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी मोटर साइकिल के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की, किसी दुर्घटना की दशा में, क्षति से किसी सीमा तक सुरक्षा करेगा ; और

(ख) जो पहनने वाले के सिर में, टोप में लगे हुए फीतों या अन्य बंधनों से सुरक्षित रूप से बंधा होगा ।

* * * * *

135. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने

दुर्घटना के मामलों

के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी, अर्थात् :—

- * * * * *
- (ग) राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकियां ; और
- (घ) राजमार्गों पर ट्रकों के खड़ा करने के लिए प्रक्षेत्र ।
- * * * * *

का अन्वेषण करने
और मार्गस्थ
सुख-सुविधाओं
आदि के लिए
स्कीमें बनाना ।

अध्याय 10

कुछ मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व

140. (1) जहां मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुई है वहां, यथास्थिति, यान का स्वामी या यानों के स्वामी ऐसी मृत्यु या निःशक्तता के बारे में प्रतिकर का संदाय इस धारा के उपबंधों के अनुसार संयुक्ततः और पृथक्तः करने के लिए दायी होंगे ।

त्रुटि न होने के
सिद्धांत पर
कतिपय मामलों
में प्रतिकर का
संदाय करने का
दायित्व ।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी, पचास हजार रुपयों की नियत राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, पच्चीस हजार रुपए की नियत राशि होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह अभिवाक् दे और यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया है संबंधित यान या यानों के स्वामी या स्वामियों के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति के जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में दावा किया गया है, किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जाएगी ।

(5) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जिसके लिए यान का स्वामी अनुतोष के रूप में प्रतिकर देने का दायी है, वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का भी दायी होगा :

परन्तु किसी अन्य विधि के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी रकम को इस धारा या धारा 163क के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से घटा दिया जाएगा ।

141. (1) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन उसके बारे में प्रतिकर का दावा करने के लिए धारा 163क में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दावा करने के अधिकार के सिवाय किसी अन्य अधिकार (ऐसे अन्य अधिकार को, इस धारा में इसके पश्चात् त्रुटि के सिद्धांत पर अधिकार कहा गया है), के अतिरिक्त होगा ।

मृत्यु या स्थायी
निःशक्तता के
लिए प्रतिकर का
दावा करने के
अन्य अधिकार के
बारे में उपबंध ।

(2) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और जहां ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में किसी प्रतिकर का दावा धारा 140 के अधीन और त्रुटि के सिद्धान्त पर किसी अधिकार के अनुसरण में भी किया गया है वहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए दावा उपरोक्त रूप में पहले निपटाया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति त्रुटि के सिद्धान्त पर अधिकार के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी दायी है, वहां इस प्रकार दायी व्यक्ति प्रथम वर्णित प्रतिकर का संदाय करेगा और,—

(क) जहां प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम से कम है वहां वह (प्रथम वर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त) द्वितीय वर्णित प्रतिकर का केवल उतना संदाय करने के लिए दायी होगा जो उस रकम के बराबर है जो प्रथम वर्णित प्रतिकर से अधिक हो ;

(ख) जहां प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम के बराबर या उससे अधिक है वहां वह द्वितीय वर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

142. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई हैं जिससे :—

(क) किसी भी नेत्र की दृष्टि का या किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हुआ है ; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी आई है, या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण हुआ है ।

143. इस अध्याय के उपबंध धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए किसी दावे के संबंध में भी लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उक्त उपबंध आवश्यक उपांतरणों के साथ उस अधिनियम के भाग माने जाएंगे ।

144. इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

* * * * *

अध्याय 11

मोटर यानों का पर-व्यक्ति जोखिम बीमा

145. इस अध्याय में,—

(क) “प्राधिकृत बीमाकर्ता” से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और उस अधिनियम के अधीन साधारण बीमा कारबार करने के लिए प्राधिकृत किसी सरकारी बीमा निधि के अधीन भारत में

स्थायी
निःशक्तता ।

1923 के
अधिनियम 8 के
अधिन कतिपय
दावों को इस
अध्याय का लागू
होना ।

अध्यायी प्रभाव ।

परिभाषाएं ।

तत्समय साधारण बीमा कारबार कर रहा है ;

(ख) “बीमा प्रमाणपत्र” से वह प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (3) के अनुसरण में दिया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा कवर नोट भी है जो ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, जो विहित की जाए, और जब किसी पालिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र दिए गए हैं या प्रमाणपत्र की कोई प्रतिलिपि दी गई है तब, यथास्थिति, वे सब प्रमाणपत्र या वह प्रतिलिपि भी इसके अंतर्गत है ;

(ग) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में जहां कहीं भी “दायित्व” का प्रयोग किया गया है, वहां उसके अंतर्गत धारा 140 के अधीन उसके बारे में दायित्व भी है ;

(घ) “बीमा पालिसी” के अंतर्गत “बीमा प्रमाणपत्र” भी है ;

(ङ) “संपत्ति” के अंतर्गत मोटर यान में ले जाया जा रहा माल सड़के, पुल, पुलिया, काजवे, वृक्ष, स्तंभ तथा मील के पत्थर भी हैं ।

(च) “व्यतिकारी देश” से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में व्यतिकारी देश के रूप में अधिसूचित करे ;

(छ) “पर-व्यक्ति” के अंतर्गत सरकार भी है ।

146. (1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का उपयोग यात्री से भिन्न रूप में तभी करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से तभी कराएगा या उसे करने देगा जब, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी बीमा पालिसी प्रवृत्त है जो इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, अन्यथा नहीं :

पर-व्यक्ति
जोखिम बीमा
के लिए
आवश्यकता ।

परन्तु किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल को वहन करने वाले या वहन करने के लिए आशयित यान की दशा में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन बीमा पालिसी होगी ।

स्पष्टीकरण—केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को उस समय जब उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी पालिसी प्रवृत्त नहीं है जैसी इस उपधारा द्वारा अपेक्षित है, इस उपधारा का उल्लंघन करने वाला तभी समझा जाएगा जब वह जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, अन्यथा नहीं ।

(2) उपधारा (1) ऐसे किसी यान को लागू न होगी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित नहीं है ।

(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्वाधीन है, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस दशा में जब उस यान का उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित हो ;

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण ;

(ग) कोई राज्य परिवहन उपक्रम ;

परंतु किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में कोई ऐसा आदेश तभी किया जाएगा जब उस प्राधिकरण के किसी यान के उपयोग से पर-व्यक्ति के प्रति उस प्राधिकरण या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा उपगत किसी दायित्व की पूर्ति के लिए उस प्राधिकरण द्वारा कोई निधि इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार स्थापित की गई है और बनाई रखी जाती है ; अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “समुचित सरकार” से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है, और—

(i) ऐसे किसी निगम या कंपनी के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है, केंद्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) ऐसे किसी निगम या कंपनी के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में वह सरकार अभिप्रेत है जिसका उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण है ।

147. (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बीमा पालिसी ऐसी होनी चाहिए, जो—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है ; और

(ख) पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है, अर्थात् :—

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत यान में ले जाए जाने वाले माल का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है, मृत्यु या शारीरिक क्षति होने अथवा किसी पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व ;

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति :

परंतु कोई पालिसी—

(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो,—

(क) यान चलाने में नियोजित है, या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है, या

पालिसियों की अपेक्षाएं दायित्व की सीमाएं । तथा की

(ग) माल वहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है, या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिसे क्षति पहुंची है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से हुआ समझा जाएगा जबकि वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पालिसी के अन्तर्गत किसी दुर्घटना की बाबत उपगत कोई दायित्व निम्नलिखित सीमाओं तक होगा, अर्थात् :—

(क) खंड (ख) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपगत दायित्व की रकम ;

(ख) पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को हुए नुकसान की बाबत, छह हजार रुपए की सीमा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले सीमित दायित्व वाली बीमा पालिसी जो प्रवृत्त है, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् चार मास की अवधि के लिए अथवा ऐसी पालिसी की समाप्ति की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी बनी रहेगी ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पालिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है बीमा-प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में और किन्हीं शर्त की, जिन पर वह पालिसी दी गई है, तथा किन्हीं, अन्यविहित बातों की, विहित विशिष्टियाँ सहित नहीं दे दिया जाता ; और भिन्न-भिन्न मामलों के लिए भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियाँ और बातें विहित की जा सकेंगी ।

(4) जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा दिए गए कवर नोट के पश्चात् बीमा पालिसी विहित समय के अंदर नहीं भेज दी जाती वहां बीमाकर्ता कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के सात दिन के अंदर यह बात उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसके अभिलेख में कवर नोट से संबंधित यान रजिस्ट्रीकृत है अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार विहित करे ; अधिसूचित करेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पालिसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट हैं, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लिए वह पालिसी तात्पर्यित है ।

148. जहां भारत और किसी व्यतिकारी देश के बीच हुए ठहराव के अनुसरण में ऐसा कोई मोटर यान, जो व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत है ; ऐसे किसी मार्ग पर या किसी क्षेत्र के भीतर चलता है ; जो दोनो देशों में पड़ता है, और यान का उपयोग किए जाने के संबंध में व्यतिकारी देश में ऐसी बीमा पालिसी प्रवृत्त हैं, जो उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है वहां धारा 147 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु ऐसे

व्यतिकारी देशों में दी गई बीमा पालिसियों की विधिमान्यता ।

किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 164 के अधीन बनाए जाएं ऐसी बीमा पालिसी उस पूरे मार्ग या क्षेत्र में, जिसकी बाबत वह ठहराव किया गया है, ऐसे प्रभावी होगी मानो वह बीमा पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो।

पर-व्यक्ति
जोखिमों की बाबत
बीमाकृत व्यक्तियों
के विरुद्ध हुए
निर्णयों और
अधिनिर्णयों की
तुष्टि करने का
बीमाकर्ताओं का
कर्तव्य।

149. (1) यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाण-पत्र दे दिए जाने के पश्चात्, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 163क के उपबंधों के अधीन पालिसी द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्व के संबंध में (जो दायित्व पालिसी के निबंधनों के अंतर्गत है) ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया जाता है जिसका पालिसी द्वारा बीमा किया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पालिसी शून्य या रद्द कर दी है, बीमा-कर्ता इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए डिक्री का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्व के संबंध में उसके अधीन देय राशि, जो बीमाकृत राशि में अधिक न होगी, खर्चों की बाबत देय किसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज संबंधी किसी अधिनियमिति के आधार पर उस राशि पर ब्याज की बाबत देय किसी धनराशि सहित इस प्रकार देगा मानो वह निर्णीतऋणी हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि, किसी निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में तभी देय होगी जब उन कार्यवाहियों के प्रारंभ के पूर्व जिनमें निर्णय या अधिनिर्णय दिया गया है, बीमाकृती को उन कार्यवाहियों के लिए जाने की अथवा किसी निर्णय या अधिनिर्णय के संबंध में जब तक उसका निष्पादन अपील के लंबित रहने पर रोक दिया गया है सूचना, यथास्थिति, न्यायालय या दावा अधिकरण के माध्यम से मिल चुकी थी अन्यथा नहीं, और कोई बीमाकर्ता जिसे ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के लिए जाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिवाद करने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(क) पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त का भंग किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात् :—

(i) ऐसी शर्त, जो यान का निम्नलिखित दशाओं में उपयोग किया जाना अपवर्जित करती है, अर्थात् :—

(क) भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, जब वह यान बीमा संविदा की तारीख को ऐसा यान है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाने के परमिट के अंतर्गत नहीं है, या

(ख) आयोजित दौड़ और गति परीक्षा के लिए, या

(ग) जिस परमिट के अधीन यान का उपयोग किया जाता है उसके द्वारा अनुज्ञात न किए गए प्रयोजन के लिए, जब वह यान परिवहन यान है, या

(घ) साइड कार संलग्न किए बिना, जब यान मोटर साइकिल है, या

(ii) ऐसी शर्त जो नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने से निरहित कर दिया गया है, निरर्हता की अवधि के दौरान, यान का चलाया जाना अपवर्जित करती है ; या

(iii) ऐसी शर्त जो युद्ध, गृहयुद्ध, बल्वे या सिविल अंशाति की स्थिति के कारण या उसके योगदान से हुई क्षति के लिए दायित्व अपवर्जित करती है ; या

(ख) वह पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह किसी तात्त्विक तथ्य के प्रकट न किए जाने से, अथवा ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से, जिसकी कोई तात्त्विक विशिष्ट मिथ्या है, अभिप्राप्त की गई थी ।

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी व्यतिकारी देश के न्यायालय से अभिप्राप्त किया गया है तथा विदेशी निर्णय की दशा में वह उस विषय की बाबत, जिसका न्यायनिर्णयन उसके द्वारा किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के उपबन्धों के आधार पर निश्चायक है वहां बीमाकर्ता जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है, भले ही वह व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो डिक्री के फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति के प्रति उस रीति से और उस विस्तार तक जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, ऐसे दायी होग मानो वह निर्णय भारत के सभी न्यायालय द्वारा दिया गया हो :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि किसी ऐसे निर्णय के संबंध में तभी संदेय होगी जब उन कार्यवाहियों के, जिनमें निर्णय दिया गया है, प्रारंभ के पूर्व बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लिए जाने की सूचना संबंधित न्यायालय के माध्यम से मिल चुकी थी, अन्यथा नहीं तथा कोई बीमाकर्ता, जिसे सूचना ऐसे दी गई है व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन उन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों के समान आधारों पर प्रतिवाद करने का हकदार है ।

(4) जहां उस व्यक्ति को, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहां पालिसी का उतना भाग, जितना उस पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों का बीमा उपधारा (2) के खंड (ख) में दी गई शर्तों से भिन्न किन्हीं शर्तों के निर्देश से निर्बन्धित करने के लिए तात्पर्यित है, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी के द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्वों के संबंध में प्रभावहीन होगा :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के किसी दायित्व के निर्वहन में या मद्दे दी गई कोई धनराशि, जो केवल इस उपधारा के आधार पर पालिसी के अन्तर्गत है, बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूलीय होगी ।

(5) यदि वह रकम, जिसे बीमाकर्ता पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व की बाबत देने के लिए इस धारा के अधीन जिम्मेदार हो जाता है, उस रकम से अधिक है जिसके लिए बीमाकर्ता, इस धारा के उपबंधों के अलावा, उस दायित्व की बाबत पालिसी के अधीन दायी होगा, तो बीमाकर्ता उस अधिक रकम को उस व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा ।

(6) इस धारा में “तात्त्विक तथ्य” और “तात्त्विक विशिष्ट” पदों से क्रमशः इस प्रकार का तथ्य या इस प्रकार की विशिष्ट अभिप्रेत है जिससे किसी भी व्यवहारकुशल बीमाकर्ता के विवेक पर यह अवधारित करने में प्रभाव पड़े कि क्या वह जोखिम उठाए और यदि वह ऐसा करे तो कितने प्रीमियम पर तथा किन शर्तों पर करे और “जो दायित्व पालिसी निबंधनों के अंतर्गत है” पद से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है जो पालिसी के अंतर्गत है या जो इस तथ्य के न होने पर पालिसी के अंतर्गत होता कि बीमाकर्ता, पालिसी को शून्य या रद्द

करने का हकदार है या उसे शून्य या रद्द कर चुका है ।

(7) कोई भी बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या अधिनिर्णय का या उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्णय में फायदा उठाने के हकदार किसी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को उस रीति से भिन्न रीति से शून्य करने का हकदार होगा, जो, यथास्थिति, उपधारा (2) में या व्यक्तिकारी देश की तत्समान विधि में उपबंधित है, अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दावा अधिकरण” से धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण और “अधिनिर्णय” से धारा 168 के अधीन उस अधिकरण द्वारा किया गया अधिनियम अभिप्रेत है ।

150. (1) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई बीमा संविदा के अधीन किसी व्यक्ति का बीमा उन दायित्वों के लिए किया गया है जो वह पर-व्यक्तियों के प्रति उपगत करे, वहां—

(क) उस व्यक्ति के दिवालिया हो जाने अथवा अपने लेनदारों से प्रशमन या ठहराव कर लेने पर, या

(ख) यदि बीमाकृत व्यक्ति कंपनी है तो उस कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश दे दिए जाने पर अथवा स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा उस कंपनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबंधक सम्यक् रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर अथवा किसी संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति का, जो भार में समाविष्ट या उसके अधीन है, कब्जा ले लिए जाने पर,

उस दशा में जब, ऐसा होने से पूर्व या पश्चात्, कोई ऐसा दायित्व बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत कर लिया जाता है, संविदा के अधीन उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस पर-व्यक्ति को अंतरित तथा उसमें निहित किए जाएंगे जिसके प्रति वह दायित्व उपगत किया गा था ।

(2) जहां दिवाला विधि के अनुसार मृत-ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि दिवाला कार्यवाही में साबित किए जाने योग्य कोई ऋण मृतक द्वारा किसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति को देय है जिसके लिए उसका बीमा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा संविदा के अधीन किया गया था तो उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध मृत-ऋणी के अधिकार, विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे जिसको वह ऋण देय हो ;

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए दी गई पालिसी में ऐसी कोई शर्त प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः यह तात्पर्यित है कि उन घटनाओं में से, जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, कोई भी घटना बीमाकृत व्यक्ति के बारे में हो जाने पर अथवा दिवाला विधि के अनुसार मृत-ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिए जाने पर पालिसी शून्य हो जाएगी अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकार परिवर्तित हो जाएंगे ।

बीमाकृत व्यक्ति के दिवालिया होने पर बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पर-व्यक्तियों के अधिकार ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर, बीमाकर्ता का पर-व्यक्ति के प्रति वैसा ही दायित्व होगा जैसा उसका बीमाकृत व्यक्ति के प्रति होता, किंतु—

(क) यदि बीमाकर्ता या बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकर्ता व्यक्ति के दायित्व से अधिक है तो इस अध्याय की कोई बात ऐसे आधिक्य के बारे में बीमाकर्ता के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी, और

(ख) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व से कम है तो इस अध्याय की कोई बात अतिशेष के बारे में बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध पर-व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी ।

151. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दायित्व की बाबत कोई दावा किया जाता है, दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से मांग की जाने पर यह बताने से इंकार नहीं करेगा कि उस दायित्व की बाबत किसी ऐसी पालिसी द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दी गई हैं, उसका बीमा किया हुआ है या नहीं अथवा यदि बीमाकर्ता ने पालिसी शून्य या रद्द न कर दी होती तो वह ऐसे बीमाकृत रहता या नहीं और वह उस दशा में, जिसमें वह ऐसे बीमाकृत है या होता, उस पालिसी से संबंधित ऐसी विशिष्टियां देने से इंकार नहीं करेगा जो उसकी बाबत दिए गए बीमा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट थीं ।

बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य ।

(2) किसी व्यक्ति के दिवालिया हो जाने पर अथवा अपने लनदारों से प्रशमन या ठहराव कर लेने पर अथवा दिवाला विध के अनुसार मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दे दिए जाने पर अथवा किसी कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश दे दिए जाने पर अथवा उस कंपनी के स्वेच्छया परिसमान के लिए संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा किसी कंपनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबंधक सम्यक् रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर अथवा किसी संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत किन्हीं डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति का, जो भारत में समाविष्ट या उसके अधीन हैं, कब्जा ले लिए जाने पर, यथास्थिति, दिवालिया ऋणी का, मृत-ऋणी के वैयक्तिक प्रतिनिधि का या कंपनी का, अथवा दिवाले की दशा में शासकीय समनुदेशिनी या रिसीवर का न्यासी, समापक, रिसीवर या प्रबंधक या संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, जो यह दावा करता है कि दिवालिया-ऋणी, मृत-ऋणी या कंपनी उसके प्रति ऐसे दायित्व के अधीन है, जो इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत है, ऐसी जानकारी दे जिसकी उसके द्वारा यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई अधिकार धारा 150 के अधीन उसे अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं तथा ऐसे अधिकारों को, यदि कोई हो, प्रवर्तित कराने के प्रयोजन से उचित रूप से अपेक्षा की जाए, तथा ऐसी कोई बीमा संविदा प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त दशाओं में ऐसी जानकारी दी जाने पर संविदा का शून्य हो जाना उसके अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकारों का परिवर्तित हो जाना अथवा उक्त दशाओं में उसका दिया जाना अन्यथा प्रतिषिद्ध या निवारित हो जाना तात्पर्यित हो ।

(3) यदि उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति को दी गई जानकारी से उसके पास यह अनुमान लगा लेने का उचित आधार है कि इस अध्याय के अधीन उस

किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार अंतरित हो गए हैं या हो गए होंगे तो उस बीमाकर्ता का वही कर्तव्य होगा जो उक्त उपधारा के अनुसार उन व्यक्तियों का है, जो उसमें वर्णित हैं ।

(4) इस धारा द्वारा अधिरोपित जानकारी देने के कर्तव्य के अंतर्गत यह कर्तव्य भी होगा कि जो बीमा संविदाएं, प्रीमियम रसीदें और अन्य सुसंगत दस्तावेजें उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हैं, जिस पर ऐसा कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, उनका निरीक्षण किया जाने दिया जाए और उनकी प्रतियां ली जाने दी जाएं ।

बीमाकर्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौते ।

152. (1) किसी ऐसे दावे के बारे में, जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, किसी बीमाकर्ता द्वारा किया गया कोई समझौता तभी विधिमान्य होगा जब ऐसा पर-व्यक्ति उस समझौते का पक्षकार है, अन्यथा नहीं ।

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसका बीमा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए दी गई पालिसी के अधीन किया गया है, दिवालिया हो गया है अथवा जहां उस दशा में, जिसमें ऐसा व्यक्ति कंपनी है, उस कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश दे दिया गया है अथवा उसके स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित कर दिया गया है वहां, यथास्थिति, पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व उपगत हो जाने के पश्चात् अथवा दिवाले या परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् न तो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच किया गया कोई करार और न पूर्वोक्त प्रारंभ के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई अधित्यजन, समनुदेशन या अन्य व्ययन, अथवा बीमाकृत व्यक्ति को की गई कोई अदायगी, उन अधिकारों को विफल करने के लिए प्रभावी होगी जो पर-व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन अंतरित है बल्कि वे अधिकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा कोई करार, अधित्यजन, समनुदेशन या व्ययन या अदायगी नहीं की गई है ।

धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के बारे में व्यावृत्ति ।

153. (1) धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के प्रयोजनों के लिए किसी बीमा पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में “पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व” के प्रति निर्देश के अंतर्गत किसी अन्य बीमा पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में उस व्यक्ति के दायित्व के प्रति निर्देश न होगा ।

(2) धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के उपखंड वहां लागू न होंगे जहां कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन उसके पुनर्गठन के लिए अथवा दूसरी कंपनी से उसके समामेलन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है ।

बीमाकृत व्यक्तियों के दिवाले से बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व या पर-व्यक्तियों के दावों पर प्रभाव न पड़ना ।

154. जहां उस व्यक्ति को, जिसने पालिसी कराई है, बीमा-प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है वहां जिस व्यक्ति का उस पालिसी द्वारा बीमा किया गया है उसके संबंध में धारा 150 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित प्रकार की किसी घटना के होने से उस व्यक्ति के इस प्रकार के किसी दायित्व पर, जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; किंतु इस धारा की कोई बात बीमाकर्ता के विरुद्ध ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उस व्यक्ति को, जिसके प्रति वह दायित्व उपगत किया गया था, धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए हैं ।

1925 का 39

155. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति की मृत्यु, जिसके पक्ष में बीमा-प्रमाणपत्र दिया गया है, उस दशा में जिसमें

कुछ वाद-हेतुकों पर मृत्यु का

वह ऐसी घटना होने के पश्चात् होती है जिससे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावा पैदा हो गया है, ऐसे किसी वाद-हेतुक के जारी रहने को वर्जित न करेगी जो उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से पैदा होता है ।

प्रभाव ।

156. जब बीमाकर्ता ने ऐसी बीमा संविदा के बारे में, जो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच है, बीमा-प्रमाणपत्र जारी कर दिया है तब—

बीमा-प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

(क) यदि और जब तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी, बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को नहीं दी गई है तो और तब तक बीमाकर्ता की बाबत, जहां तक बीमाकर्ता और बीमाकृत से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बीच की बात है, यह समझा जाएगा कि उसने बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पालिसी दे दी है जो सभी प्रकार से ऐसे-प्रमाणपत्र में दिए हुए वर्णन और विशिष्टियों के अनुरूप है ; और

(ख) यदि बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकृत को दे दी है किंतु पालिसी के वास्तविक निबंधन पालिसी की उन विशिष्टियों से, जो प्रमाणपत्र में उल्लिखित हैं, उन व्यक्तियों के लिए कम अनुकूल हैं जो पालिसी के अधीन या आधार पर बीमाकर्ता के विरुद्ध दावा या तो प्रत्यक्ष रूप से या बीमाकृत व्यक्ति के माध्यम से करते हैं, जो जहां तक बीमाकर्ता बीमाकृत से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बीच की बात है, पालिसी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रकार से उन विशिष्टियों के अनुरूप है, जो उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित हैं ।

157. (1) जहां कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र दिया गया है, उस मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा लिया गया था, उससे संबंधित बीमा पालिसी सहित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है वहां बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे मोटर यान अंतरित किया गया है, उसके अंतरण की तारीख से प्रभावशील रूप से अंतरित समझी जाएगी ।

बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे समझे गए अंतरण में उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों का अंतरण सम्मिलित होगा ।

(2) अंतरिती, विहित प्ररूप में, अंतरण की तारीख से चौदह दिन के भीतर, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में, उसके पक्ष में अंतरण के तथ्य की बाबत आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बीमाकर्ता को आवेदन करेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र में तथा बीमा की पालिसी में बीमा के अंतरण की बाबत आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

158. (1) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति वर्दी पहने हुए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है, अपेक्षा किए जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा जो उस यान के उपयोग से संबंधित हैं, अर्थात् :—

कतिपय दशाओं में कुछ प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट का पेश किया जाना ।

(क) बीमा प्रमाणपत्र ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ग) चलन अनुज्ञप्ति ; और

(घ) परिवहन यान की दशा में, धारा 56 में निर्दिष्ट, ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र और परमिट ।

(2) जहां मोटर यान के किसी सार्वजनिक स्थान में होने के कारण ऐसी दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति होती है वहां, यदि यान का ड्राइवर उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों, चालन अनुज्ञप्ति और परमिट को उस समय पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता है तो वह उक्त प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट को उस पुलिस थाने में पेश करेगा जहां वह धारा 134 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट करता है ।

(3) किसी व्यक्ति को बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में असफलता के ही कारण उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा जब, यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको उसका पेश किया जाना उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किया गया था अथवा, दुर्घटना होने की तारीख से, सात दिन के अंदर वह ऐसे प्रमाणपत्र को उस पुलिस थाने में पेश कर देता है जिसे उसने उस पुलिस अधिकारी को जिसने उसे पेश किए जाने की मांग की थी, या यथास्थिति, दुर्घटना स्थल के पुलिस अधिकारी को अथवा उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसमें उसने दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई है, विनिर्दिष्ट किया हो :

परन्तु इस उपधारा के उपबंध किसी परिवहन यान के ड्राइवर को उसी विस्तार तक और ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो विहित किए जाएं, अन्यथा नहीं ।

(4) मोटर यान का स्वामी ऐसी जानकारी देगा जिसे देने की अपेक्षा उससे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से यह अवधारित करने के प्रयोजन से की जाए कि क्या वह यान धारा 146 का उल्लंघन करके और ऐसे किसी अवसर पर चलाया जा रहा था या नहीं जब ड्राइवर से इस धारा के अधीन यह अपेक्षा की गए थी कि वह अपना बीमा प्रमाणपत्र पेश करे ।

(5) इस धारा में, “अपना बीमा-प्रमाणपत्र पेश करे” पद से सुसंगत बीमा प्रमाणपत्र पेश करना या इस बाबत ऐसे अन्य साक्ष्य, जैसा विहित किया जाए, पेश करना अभिप्रेत है कि वह यान धारा 146 का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा था ।

(6) जैसे ही किसी ऐसी दुर्घटना की बाबत जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अंतर्ग्रस्त है, कोई इतिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है या कोई रिपोर्ट इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी की जाती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, इतिला अभिलिखित करने की तारीख से तीन दिन के भीतर या ऐसी रिपोर्ट पूरी होने पर, अधिकारिता, रखने वाले दावा अधिकरण को और उसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भेजेगा और जहां एक प्रति स्वामी को उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह भी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे दावा अधिकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा ।

यान का उपयोग करने के प्राधिकार के लिए आवेदन करने पर बीमा प्रमाणपत्र पेश किया जाना ।

159. राज्य सरकार मोटर यान के स्वामी से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि जब वह सार्वजनिक स्थान पर यान का उपयोग करने का प्राधिकार के लिए कर देकर या अन्यथा, आवेदन करे तब वह इस आशय का ऐसा साक्ष्य, जो उन नियमों द्वारा विहित किया जाए, पेश करे कि या तो—

(क) उस तारीख को जब यान का उपयोग करने का प्राधिकार प्रवृत्त होता है, आवेदक द्वारा या उसके आदेशों पर या उसकी अनुज्ञा से अन्य व्यक्तियों द्वारा उस यान का उपयोग किए जाने के संबंध में आवश्यक सीमा पालिसी प्रवृत्त होगी, या

(ख) वह यान ऐसा यान है जिसे धारा 146 लागू नहीं होती है ।

160. रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो यह अभिकथन करता है कि वह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, या ऐसे सीमाकर्ता द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जिसके खिलाफ किसी मोटर यान की बाबत दावा किया गया है, यथास्थिति, उस व्यक्ति को या उस बीमाकर्ता को उसके द्वारा विहित फीस दिए जाने पर, ऐसे प्ररूप में और उतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, ऐसा कोई जानकारी देगा जो उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी के पास यान के पहचान चिह्नों और अन्य विशिष्टियों के संबंध में और उस व्यक्ति के नाम और पते के संबंध में हो जो दुर्घटना के समय यान का उपयोग कर रहा था या जिसे उस यान से क्षति हुई थी और संपत्ति का, यदि कोई है, नुकसान हुआ था ।

दुर्घटनाग्रस्त यानों की विशिष्टियां देने का कर्तव्य ।

161. (1) इस धारा, धारा 162 और धारा 163 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “घोर उपहति” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में उसका है ;

(ख) “टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना” से ऐसे मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत दुर्घटना अभिप्रेत है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त प्रयत्न करने के बाद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है ;

(ग) “स्कीम” से धारा 163 के अधीन बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है ।

टक्कर मार कर भागने के संबंध में मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध ।

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन बनाया गया भारतीय साधारण बीमा निगम और तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कंपनियां टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना से उद्भूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के बारे में प्रतिकर का, इस अधिनियम और स्कीम के उपबंधों के अनुसार, संदाय करने के लिए उपबंध करेगी ।

(3) इस अधिनियम और स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पच्चीस हजार रुपए की नियत राशि का ;

(ख) टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की घोर उपहति के बारे में बारह हजार पांच सौ रुपए की नियत राशि का, प्रतिकर के रूप में संदाय किया जाएगा ।

(4) धारा 166 की उपधारा (1) के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन करने के प्रयोजन के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिकर के लिए आवेदन करने के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं ।

162. (1) धारा 161 के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन होगा कि यदि प्रतिकर के किसी दावे के बदले या उसकी पुष्टि के रूप में कोई प्रतिकर (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् अन्य प्रतिकर कहा गया है) या अन्य रकम ऐसी मृत्यु या घोर उपहति के बारे में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या किसी अन्य विधि के अधीन या अन्यथा अधिनिर्णीत की जाती है या संदत्त की जाती है तो पूर्वोक्त अन्य प्रतिकर या अन्य रकम का उतना भाग जितना धारा 161 के

धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर का कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

1860 का 45

1972 का 57

अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर ही, बीमाकर्ता को प्रतिदत्त किया जाएगा ।

(2) किसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अंतर्वलित करने वाली किसी दुर्घटना के बारे में इस अधिनियम (धारा 161 से भिन्न) या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के पूर्व ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक क्षति के बारे में प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले ही संदत्त कर दिया गया है या उस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए कोई आवेदन लंबित है और ऐसा अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी—

(क) यदि धारा 161 के अधीन प्रतिकर का पहले ही संदाय किया जा चुका है तो उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह उसके उतने भाग का जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय करने के लिए अपेक्षित है, बीमाकर्ता को प्रतिदाय करे ;

(ख) यदि धारा 161 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए कोई आवेदन लंबित है, तो उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर से संबंधित विशिष्टियां बीमाकर्ता को भेजेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई आवेदन—

(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, तो आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने की तारीख तक, और

(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय किए जाने की तारीख तक,

लंबित समझा जाएगा ।

163. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाएगी, जिसमें वह रीति जिससे स्कीम का साधारण बीमा निगम द्वारा प्रशासन किया जाएगा, वह प्ररूप, रीति और समय जिसके भीतर प्रतिकर के लिए आवेदन किए जाएंगे, वे अधिकारी या प्राधिकारी जिन्हें ऐसे आवेदन किए जाएंगे, वह प्रक्रिया जो ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए और उन पर आदेश पारित करने के लिए ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाएगी और स्कीम के प्रशासन तथा प्रतिकर के संदाय से संसक्त या आनुषंगिक सभी अन्य विषय निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि—

(क) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से जो विनिर्दिष्ट की जाएगी किंतु किसी भी दशा में तीन मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएगी किंतु जो किसी भी दशा में पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ख) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां, या उस पर अधिरोपित कृत्य या कर्तव्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ;

टक्कर मार कर
भागने संबंधी
मोटर दुर्घटनाओं के
मामलों में प्रतिकर
के संदाय के लिए
स्कीम ।

1939 का 4

(ग) ऐसी स्कीम का कोई उपबंध ऐसी तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन तोषण निधि के स्थापित किए जाने की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित हो सकेगा :

परन्तु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसे उपबंध द्वारा शासित हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

163क. (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध ।

1923 का 8

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी निःशक्तता” का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

163ख. जहां कोई व्यक्ति धारा 140 और धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार है वहां वह केवल उक्त धाराओं में से किसी एक धारा के अधीन दावा फाइल करेगा न कि दोनों धाराओं के अधीन ।

कतिपय दशाओं में दावा फाइल करने का विकल्प ।

164. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के, धारा 159 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, उपबंधों की कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाने वाले प्ररूप ;
- (ख) बीमा-प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना और उनका दिया जाना ;
- (ग) खोए, नष्ट हुए या कटे फटे, बीमा-प्रमाणपत्रों के बदले में उनकी दूसरी प्रतियों का दिया जाना ;
- (घ) बीमा-प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, उन्हें पेश करना, रद्द करना और अभ्यर्पित करना ;
- (ङ) इस अध्याय के अधीन दी गई बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख ;
- (च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों द्वारा या अन्यथा पहचान ;
- (छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा पालिसियों विषयक जानकारी का दिया जाना ;

(ज) इस अध्याय के उपबंधों को उन यानों के लिए, जो भारत में अस्थायी वास के लिए आने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए हैं, या उन यानों के लिए, जो किसी व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा भारत में किसी मार्ग या क्षेत्र में चल रहे हैं, विहित उपांतरणों सहित लागू करके अनुकूल बनाना ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय-परिसीमा जिसके भीतर धारा 160 में निर्दिष्ट विशिष्टियां दी जा सकेंगी ; और

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

अध्याय 12

दावा अधिकरण

दावा अधिकरण ।

165. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि “उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है” पद के अंतर्गत धारा 140 और धारा 163क के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं ।

* * * * *

प्रतिकर के लिए आवेदन ।

166. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के विकल्प पर, उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, किया जाएगा और वह ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं :

परंतु जहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं किया जाता है वहां उस आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर के ठीक पूर्व उस आशय का एक पृथक् कथन होगा ।

* * * * *

(4) दावा अधिकरण, धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा ।

* * * * *

दावा अधिकरणों का अधिनियम ।

168. (1) धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी है), यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की

जांच करेगा तथा, धारा 162 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा, और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी :

परंतु जहां ऐसे आवेदन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा किया गया है, वहां ऐसा दावा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया है) अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

* * * * *

170. जहां जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दुरभिसंधि है ; या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, उस दावे का विरोध करने में असफल रहा है,

वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि वह बीमाकर्ता, जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है, उस कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाए और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब धारा 149 की उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं आधारों पर करे, जो उस व्यक्ति को प्राप्त हैं, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है ।

* * * * *

173. (1) * * * * *

(2) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में न होगी जिसमें अपील में विवादाग्रस्त रकम दस हजार रुपए से कम है ।

* * * * *

अध्याय 13

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

177. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा ; और किसी द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना ।

अपीलें ।

अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध ।

178. (1) * * * * *

और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने के लिए शास्ति आदि ।

(3) यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या ड्राइवर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करेगा तो वह,—

(क) दो पहिए या तीन पहिए वाले मोटर यानों की दशा में, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना ।

179. (1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना ।

180. जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता है, यान चलाएगा या चलाने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना ।

181. जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध ।

182. (1) जो कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरहित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकों को प्रकट किए बिना चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन-अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरहित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, अथवा पृष्ठांकन रहित कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते

हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।

182क. कोई व्यक्ति जो धारा 109 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने से और किन्हीं पश्चात्कर्ती अपराधों के लिए पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यान के सन्निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित अपराधों के लिए दंड ।

183. (1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा वह जुर्माने से, जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अत्यधिक गति आदि से चलाना ।

(2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो मोटर यान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रणाधीन है, धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधिविरुद्ध है, तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यांत्रिक युक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है ।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन उसे किसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाना है, उस दशा में, जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 122 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन किए बिना विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाय, इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है या वह निदेश दिया है उसने उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है ।

184. जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती

खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना ।

अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना ।

185. मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय—

(क) जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिली लिटर में 30 मिली ग्राम से अधिक ऐल्कोहाल पाया जाता है, या]

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटर यान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है,

वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा जिससे व्यक्ति मोटर यान पर उचित नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता ।

मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना ।

186. जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड ।

187. जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करते में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

दौड़ और गति का मुकाबला ।

189. जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

190. (1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई

असुरक्षित दशा वाले यान का

खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

उपयोग किया जाना ।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपए तक जुर्माने से, तथा किसी द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए दो हजार रुपए तक जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, और किसी द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

191. जो कोई मोटर यानों का आयातकर्ता या व्यापारी होते हुए मोटर यान या ट्रेलर का ऐसी हालत में विक्रय या परिदान करेगा अथवा विक्रय या परिदान की प्रस्थापना करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन होगा अथवा मोटर यान या ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा कि उसकी ऐसी हालत हो जाए जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन होगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

यान का ऐसी हालत में विक्रय या यान का ऐसी हालत में परिवर्तन जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो ।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जिसमें वह साबित कर देता है कि उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि वह यान सार्वजनिक स्थान में तब तक उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कि वह ऐसी हालत में नहीं कर दिया जाता जिसमें उसका ऐसा उपयोग विधिपूर्णतया किया जा सकता है ।

* * * * *

192क. (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु दो हजार रुपए से कम का

परमिट के बिना यान का उपयोग ।

नहीं होगा, तथा किसी पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन मास से कम की नहीं होंगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा ।

* * * * *

बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं और प्रचारकों के लिए दण्ड ।

193. जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना ।

194. (1) जो कोई धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग करेगा या किए जाने देगा, वह दो हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से, और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से, दण्डनीय होगा ।

(2) यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिए जाने के पश्चात् यान का भार कराने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूव माल को हटाता है या हटवाता है, वह जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

कतिपय परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण ।

195. (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर वैसा ही अपराध, पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चात्कर्ती बार करेगा तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने की अधिकतम रकम के एक चौथाई से कम जुर्माना केवल उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, अधिरोपित करेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसा कारावास अधिनिर्णीत करने की न्यायालय की शक्ति को निर्बन्धित करती है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझता है और जो उस अपराध की बाबत इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है ।

बीमा न किए गए यान को चलाना ।

196. जो कोई धारा 146 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा, या चलाने देगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

प्राधिकार के बिना यान ले जाना ।

197. (1) जो कोई किसी मोटर यान को या तो उसके स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जाएगा और चलाएगा, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जब

न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि उसे विधिपूर्ण प्राधिकार प्राप्त है अथवा ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि यदि उसने स्वामी की सहमति मांगी होती तो मामले की परिस्थितियों में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती ।

(2) जो कोई, विधिविरुद्ध रूप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार के अभिवास के द्वारा, किसी मोटर यान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांस सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

198. जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढ़ेगा या मोटर यान के ब्रेक या यंत्र जाल के किसी भाग को बिगाड़ेगा वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

यान में अनधिकृत हस्तक्षेप ।

* * * * *

200. (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, धारा 198 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा ।

कतिपय अपराधों का शमन ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

201. (1) जो कोई किसी निर्योग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात के मुक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है तो वह, जब तक यान उस स्थिति में रहता है, प्रति घंटा पांच सौ रुपए तक की शास्ति के लिए दायी होगा :

यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति ।

परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षण की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं :

परन्तु यह और कि जहां यान किसी सरकारी अभिकरण द्वारा हटाया जाता है वहां अनुकर्षण प्रभार यान के स्वामी या ऐसे यान के भारसाधक व्यक्ति से वसूल किए जाएंगे ।

(2) इस धारा के अधीन शास्तियां या अनुकर्षण प्रभार ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल किए जाएंगे जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत करे ।

* * * * *

212. (1) * * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 75 की उपधारा (1) और धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई

नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और रखा जाना ।

प्रत्येक स्कीम और धारा 41 की उपधारा (4) ; धारा 58 की उपधारा (1), धारा 59 की उपधारा (1) ; धारा 112 की उपधारा (1) के परन्तुक धारा 163क की उपधारा (4)] और धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, स्कीम, या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी । किन्तु नियम, स्कीम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

*

*

*

*

*

दूसरी अनुसूची
(धारा 163क देखिए)

क्षति के मामलों संबंधी पर व्यक्ति घातक दुर्घटना की अनुसूची

1. घातक दुर्घटना

वार्षिक आय	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
	3000	4200	5400	6600	7800	9000	10200	11400	12000	18000	24000	36000	40000	
आहत व्यक्ति की आयु	गुणक				हजार रुपयों में									
	₹0	₹0	₹0	₹0	मृत्यु की दशा में प्रतिशत									
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
15 वर्ष तक	15	60	84	108	132	156	180	204	228	240	360	480	720	800
15 वर्ष से अअधिक किन्तु 20 वर्ष से अअधिक	20	16	57	79.8	102	125.4	148.2	171	193.8	216.6	228	342	456	684
20 वर्ष से अअधिक किन्तु 25 वर्ष से अअधिक	25	17	54	75.6	97.2	118.8	140.4	162	183.6	205.2	216	324	432	648
25 वर्ष से अअधिक किन्तु 30 वर्ष से अअधिक	30	18	51	71.4	91.8	112.2	132.6	153	173.4	193.8	204	306	408	612
30 वर्ष से अअधिक किन्तु 35 वर्ष से अअधिक	35	17	50	67.2	86.4	105.6	124.8	144	163.2	192.4	192	288	384	576
35 वर्ष से अअधिक किन्तु 40 वर्ष से अअधिक	40	16	50	63	81	99	117	135	153	171	180	270	360	540
40 वर्ष से अअधिक किन्तु 45 वर्ष से अअधिक	45	15	50	58.8	75.6	92.4	109.2	126	142.8	159.6	168	252	336	504
45 वर्ष से अअधिक किन्तु 50 वर्ष से अअधिक	50	13	50	50.4	64.8	79.2	93.6	108	122.4	136.8	144	216	286	432
50 वर्ष से अअधिक किन्तु 55 वर्ष से अअधिक	55	11	50	50	54	66	78	90	102	114	120	180	240	360
55 वर्ष से अअधिक किन्तु 60 वर्ष से अअधिक	60	8	50	50	50	52.8	62.8	72	81.6	91.2	96	114	192	286
60 वर्ष से अअधिक किन्तु 65 वर्ष से अअधिक	65	5	50	50	50	50	54	61.2	68.4	72	108	144	216	240
65 वर्ष से अधिक	5	50	50	50	50	50	50	51	57	60	90	120	180	200

टिप्पणी : घातक दुर्घटना संबंधी दावों की दशा में इस प्रकार परिकल्पित प्रतिशत की रकम में से उन व्ययों को ध्यान में रखते हुए, जो आहत व्यक्ति अपने पालन-पोषण मद्दे उपगत करता, यदि वह जीवित रहता, एक तिहाई रकम घटा दी जाएगी ।

2. प्रतिशत की रकम 50,000 हजार रूपए से कम नहीं होगी ।

3. साधारण नुकसान (मृत्यु की दशा में)

उपरोक्त प्रतिशत के अतिरिक्त निम्नलिखित साधारण नुकसानी संदेय होगी :

- (i) अंत्येष्टि व्यय 2000 ₹0
- (ii) दाम्पत्य वंचन, यदि हिताधिकारी पति या पत्नी है 5000 ₹0
- (iii) संपदा हानि 2500 ₹0
- (iv) चिकित्सा व्यय — मृत्यु के पूर्व उपगत वास्तविक व्यय, जो बिलों और वाउचरों द्वारा समर्थित हो, किन्तु अधिक से अधिक 15000 ₹0

4. क्षति और निःशक्ता की दशा में साधारण नुकसानी :

- (i) पीड़ा और यातना
 - (क) घोर क्षति 5000 ₹0
 - (ख) क्षति, जो घोर नहीं है 1000 ₹0
- (ii) चिकित्सा व्यय—उपगत वास्तविक व्यय, जो बिलों/ वाउचरों द्वारा समर्थित हो, 15000 ₹0

किन्तु किसी एक समय संदाय के रूप में
अधिक से अधिक

5. ऐसी दुर्घटनाओं में निःशक्ता जो घातक नहीं हैं :
ऐसी दुर्घटना से, जो घातक नहीं है, आहत व्यक्ति को होने
वाली निःशक्ता की दशा में निम्नलिखित प्रतिकर संदेय होगा :
बायन सप्ताह से अधिक की निःशक्ता की वास्तविक अवधि के लिए आय की हानि,
यदि कोई हो ।

धन निम्नलिखित में से कोई—

(क) स्थायी पूर्ण निःशक्ता की दशा में संदेय रकम, आय की वार्षिक हानि को प्रतिकर के
अवधारण की तारीख पर उस आयु को लागू गुणक द्वारा गुणा करके परिकल्पित की जाएगी ।

(ख) स्थायी आंशिक निःशक्ता की दशा में प्रतिकर की ऐसा प्रतिशत, जो उपरोक्त मद
(क) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थायी पूर्ण निःशक्ता की दशा में संदेय होता ।

वे क्षतियां, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण
निःशक्ता/स्थायी आंशिक निःशक्ता हुई है और उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत कर्मकार
प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची 1 के अनुसार होगा ।

6. ऐसे व्यक्तियों को जिनकी दुर्घटना के पूर्व कोई आय नहीं थी, प्रतिकर के लिए सैद्धांतिक आय
घातक और ऐसी दुर्घटनाओं में निःशक्ता, जो घातक नहीं हैं :—

(क) उपार्जन न करने वाले व्यक्ति

1500 रुपए प्रति वर्ष

(ख) पति या पत्नी

उपार्जन करने वाले उत्तरजीवी पति या पत्नी
की आय का एक तिहाई

अन्य क्षतियों की दशा में केवल "साधारण नुकसानी" जैसा लागू हो ।